प्रकाशन का 44 वां वर्ष

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

ई – पेपर

www.facebook.com/shailshamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 44 अंक – 17 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2020 सोमवार 22 – 29 अप्रैल 2019 मूल्य पांच रूपए

सवालों के जवाब में गाली का चलन कब तक

शिमला/शैल। इन लोकसभा चुनावों में यह पहली बार हुआ है जब प्रदेश के किसी नेता को बदजुबानी के लिये चुनाव आयोग ने उसके प्रचार करने पर प्रतिबन्ध लगाया हो। प्रदेश में यह सत्तारूढ़ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती के साथ हुआ है। उन्हें बदजुबानी के लिये चुनाव आयोग एक बार 48 घन्टे का प्रतिबन्ध लगा चुका है। एक बार सिर्फ चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। लेकिन अब तीसरी बार फिर उनके खिलाफ चुनाव आयोग को शिकायत गयी है। इस बार आरोप है कि मण्डी की एक जनसभा में अपने विरोधीयों को सार्वजनिक मंच से यह धमकी दे डाली कि जो उनके नेतृत्व के खिलाफ अंगूली उठायेगा बदले में उसका बाजू काट दिया जायेगा। सत्ती का यह ब्यान चुनाव आयोग की एक बार कारवाई और दूसरी बार चेतावनी के बाद आया है। सत्ती के इस ब्यान की पार्टी के शीर्ष नेताओं शान्ता कुमार, प्रेम कुमार धूमल और मुख्यमन्त्री जयराम में से किसी ने भी निन्दा नही की है। बल्कि मुख्यमन्त्री ने तो एक तरह से इस ब्यान का समर्थन किया है। मुख्यमन्त्री के समर्थन से यह गाली देना एक रणनीति बन जाती है। क्योंकि पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमन्त्री से बड़ा कोई पद नही होता है। इनसे ऊपर केवल जनता ही होती है। ऐसे में गाली की इस रणनीति का राजनीतिक संर्द्धभों में आकलन करना आवश्यक हो जाता है क्योंकि राजनीति में अपने से बड़े को ही गाली दी जाती है अपने बराबर वाले और छोटे को गाली की बजाये उससे सवाल पूछे जाते हैं।

इस समय केन्द्र और राज्य में दोनों जगह भाजपा की ही सरकारे हैं। इसलिये स्वभाविक है कि इन्ही से सवाल पूछे जायेंगे। 2014 के चुनावों में राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा ने देश की जनता से कुछ वायदे किये थे। इन वायदों पर भरोसा करके जनता ने इन्हे सत्ता सौंपी थी। आज यह वायदे कितने पूरे हुए हैं यह तो इन्ही से सवाल करके पूछा जायेगा और यह सवाल पूछने पर यदि गाली और धमकी मिलेगी तो यह निश्चित है कि इन वायदों की दिशा में कुछ नही हुआ है। इसके लिये सवाल पूछने वाले को धमकी और गाली से चुप करवाया जा रहा है। प्रदेश विधानसभा के चुनावों में भी कुछ वायदे किये गये थे। इन वायदों के लिये तो मुख्यमन्त्री जयराम ठाकुर और प्रदेश अध्यक्ष सत्ती से ही सवाल पूछे जायेंगे। विधानसभा चुनावों के दौरान मण्डी की एक जनसभा में प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ने तब के मुख्यमन्त्री वीरभद्र सिंह से 72000 करोड़ का हिसाब मांगा था। इस हिसाब मांगने के माध्यम से प्रधानमन्त्री ने प्रदेश की जनता को यह बताया था कि उनकी सरकार ने प्रदेश को 72000 करोड़ की सहायता दी है जिसे सरकार ने गलत तरीके से खर्च किया है। लेकिन मुख्यमन्त्री जयराम ठाकुर ने नौ मार्च 2018 को अपने

बजट भाषण में यह आंकड़ा 46793 करोड़ बताया है जिसका अर्थ है कि करीब 26000 करोड़ की गलत ब्यानी की गयी थी इसी तरह प्रदेश को 69 राष्ट्रीय राजमार्ग देने का आंकड़ा परोसा गया। इसके लिये बाकायदा नितिन गडकरी का जेपी नड्डा के नाम लिखा पत्र खूब भुनाया गया। लेकिन इसका आजका सच यही है कि यह सबकुछ सिद्धान्त रूप में ही है व्यवहार मे कुछ नही। ऐसे दर्जनो आंकड़े हैं जो सरकार की गलत ब्यानी को उजागर करते हैं

आज राष्ट्रीय स्तर पर जो सवाल पूछे जा रहे हैं क्या उनका जवाब गाली के रूप में ही दिया जायेगा यह सवाल उछलने लगा है। 2014 के चुनावों में यह नही कहा गया था कि यह वायदे पूरे करने के लिये 60 महीने नही 60 वर्ष लगेंगे। क्योंकि आज हर असफलता के लिये कांग्रेस के पिछले कार्यकालों को कोसा जा रहा है। लेकिन आज भाजपा के इस कार्यकाल के बाद स्वभाविक रूप से इसका कांग्रेस के साथ तुलनात्मक अध्ययन किया जायेगा। आज जो सवाल चर्चा में चल रहे हैं वह पाठकों के सामने रखे जा रहे हैं क्योंकि आज जनहित में इन सवालों को एक मंच दिया जाना सरोकारी पत्रकारिता का कर्तव्य बन जाता है।

यह हैं कुछ बड़े सवाल

कहां है 10 करोड़ रोजगार?
कहां है 15 – 15 लाख?
कहां है 100 स्मार्ट सिटी?
क्या हुआ गोद लिये 282 गांव का?
कहां है 40 के निचे पेट्रोल डीजल?
कहां है 40 के निचे डॉलर?
कहां है राम मन्दिर?
क्यों नही हटाई 370 धारा?
क्यों घटाया देश का रक्षा बजट?
क्यों घटाया शिक्षा का बजट?
क्यों देश की जीडीपी 2 % तक गिरी?
क्यों 1.5करोड़ लोगों की नौकरी गयी?
क्यों 177% आतंकी घटनायें बढ़ी?
कहां है कालाधन? 100दिनों में बोला था।
क्यों 93 % ज्यादा हमारे सैनिकों की शहादत को रही है?
क्यों नोटबंदी से छोटे बिजनस की कमर तोड़ी?
क्यों देश में नारी सुरक्षित नहीं है?
क्यों गंगा मैया साफ नही हुई?
कहां किसानों की आमदनी बढ़ी?
क्यों महंगाई कम नही हुई?
देश की आज़ादी के बाद पहली बार सराफा बाजार 43 दिनों तक बन्द क्यों रहा?
मोदी की विदेश यात्रा पर खर्च 2000 करोड़, पटेल की मूर्ती पर खर्च 3 500 करोड़, बीजेपी के नए राष्ट्रीय मुख्यालय पर खर्च करीब 1500 करोड़, इस तरह कुल 7000 करोड़ का खर्च क्यों?
अपने पूंजीपति मित्रों को आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए 11 लाख वन रक्षक आदिवासियों को उनकी जमीनों और उनके घरों से बेदखल करके उन्हें हथियार उठाने को मजबूर होना पड़ा क्यों?
ललित मोदी 5000करोड़, विजय माल्या 9000 करोड़, मेहुल चौकसी11600 करोड़, नीरव मोदी 11 हजार करोड़, इस प्रकार 36600 करोड़ की लूट कैसे हो गई?
विपक्ष मे रहकर FDI , आधार, GST का विरोध करते थे लेकिन सत्ता में आकर यू टर्न क्यों?
देश के पैसों से विज्ञापनों द्वारा (करीब 5 हजार करोड़)का निवेश किस मीडिया पर?
मौजूदा RBI गवर्नर शक्तिकांत दास के कार्यकाल में अपनी राजनितिक हितों की पूर्ति के लिए 28 हजार करोड़ का ऋण क्यों?

सबसे अधिक बीमार है प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल आईजीएमसी

शिमला/शैल। मोदी सरकार ने देश के करोड़ों गरीब लोगों के स्वास्थ्य की चिन्ता करते हुए उनके लिये आयुष्मान भारत योजना शुरू कर रखी है। बल्कि इन्ही योजनाओं के दम पर यह सरकार सत्ता में वापसी की उम्मीद लगाकर बैठी हुई है। क्योंकि इस योजना के तहत गरीब आदमी पांच लाख तक का अपना ईलाज मुफ्त में करवा सकता है। इसी योजना की तर्ज पर जयराम सरकार ने भी अपनी ओर से हिमकेयर योजना इसमें और सहयोग करने के लिये शुरू कर रखी है। लेकिन आज इन योजनाओं की व्यवहारिक स्थिति यह है कि पैसों के अभाव में यह योजनाएं बन्द होने के कगार पर पंहुच चुकी है। क्योंकि इन योजनाओं के तहत खरीदी जा रही दवाईयां एवम अन्य उपकरणों के सप्लायरों को उनके बिलों का भुगतान नही हो पा रहा है। आईजीएमसी में ही सप्लायरों का करीब दस करोड़ का भुगतान रूका पड़ा है। एक सप्लायर के 6.88 करोड़ के बिल भुगतान के लिये पड़े हुए हैं। जब राजधानी में ही यह हालत होगी तो प्रदेश के अन्य भागों की हालत का अन्दाजा लगाया जा सकता है। भुगतान न हो पाने के कारण कुछ सप्लायरों ने तो सप्लाई ही बन्द कर दी है। भुगतान न हो पाने का कारण है कि केन्द्र से इसके लिये पैसा नही आ पा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि चुनावों के बाद इन योजनाओं को पुनर्विचार के नाम पर बन्द कर दिया जायेगा।

आईजीएमसी में ही ईलाज की स्थिति यह है कि पिछले दिनों मुख्यमन्त्री के प्रधान अतिरिक्त मुख्य सचिव डा. श्रीकान्त बाल्दी ने एक मरीज को अस्पताल भेजा लेकिन इस मरीज को तीन घन्टे तक डाक्टारों ने देखा तक नहीं परिणामस्वरूप इस मरीज ने ईलाज से पहले ही दम तोड़ दिया। इस पर डा. बाल्दी नाराज हुए और उन्होने आईजीएमसी प्रबन्धन से इस बारे में रिपोर्ट तलब की। यह रिपोर्ट मांगे जाने पर ऐसी लापरवाही के लिये एक जांच कमेटी गठित की गयी। इस कमेटी ने अपनी जांच में डाक्टारों और अन्य स्टॉफ को इस लापरवाही के लिये कुछ लोगों को नाम से चिन्हित करते हुए अपनी रिपोर्ट जांच कमेटी के प्रमुख को सौंप दी। नामों का खुलासा हो जाने पर संबंधित डाक्टर हरकत में आये और अन्ततः फाईनल रिपोर्ट में यह कह दिया कि मरीज की मौत के लिये कोई भी जिम्मेदार नही है। यही नही आईजीएमसी के डाक्टरों का आचरण डॉ. आर जी सूद और डॉ. गोयल के मामलों में भी इसी तरह का रहा है चर्चा है कि डा. गोयल भी तीन घन्टे तक बाहर बैंच पर पड़े रहे थे और किसी ने भी उन्हे देखा तक नही था।

अब आयुष्मान योजना के तहत ईलाज के लिये आये एक मरीज को डाक्टरों ने 42000 रूपये के खर्चे के प्रबन्ध के लिये बोल दिया। गरीब आदमी यह प्रबन्ध करने में असमर्थ था। उसने आईजीएमसी प्रबन्धन से इस बारे में शिकायत की और सरकार तक भी यह सूचना पंहुच गयी। इस पर भी एक गंभीर जांच हुई है और इसकी रिपोर्ट सरकार को सौंप भी दी गयी है। लेकिन अभी तक इस रिपोर्ट पर कोई कारवाई नही हुई है। यही नही पिछले दिनों आईजीएमसी में ही एक नर्स की ट्रांसफर हुई यह ट्रांसफर कुछ रिपोर्टो के आधार पर हुई थी। लेकिन इस ट्रांसफर को रोकने के लिये तीन विधायक सिफारिश लेकर आ गये और मुख्यमन्त्री इस दबाव के आगे झुक गये।

जहां प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल की स्थिति इस तरह की है वहीं पर सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्राईवेट सैक्टर

शेष पृष्ठ 8 पर.....

किसानों व बागवानों का 348 लाख रुपये राशि का भुगतान बकाया

शिमला/शैल। मुख्य सचिव बी.के. अग्रवाल के निर्देश पर प्रदेश के किसानों और बागवानों की उपज के विपणन सम्बन्धी समस्याओं पर चर्चा के लिए बागवानी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आर.डी. धीमान की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई।

बागवानी विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि किसान संघर्ष समिति द्वारा, कृषि उपज मण्डी समिति (शिमला व किन्नौर) के समक्ष 2019 को आयोजित प्रदर्शन में आरोप लगाया कि व्यापारियों व आढ़तियों द्वारा 436 लाख रुपये सेब खरीद का भुगतान नहीं किया गया है। इस बारे में किसानों से 130 शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिनमें से 21 का निपटारा किया जा चुका हैं और 88 लाख रुपये की धनराशि का भुगतान किसानों/ बागवानों को किया जा चुका है। शेष 348 लाख रुपये राशि का भुगतान बकाया है, जिसके लिए समिति स्तर पर भरसक प्रयास किए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि मण्डी समिति द्वारा दोषी व्यापारियों के विरूद्ध पुलिस में शिकायतें दर्ज की गई हैं और दोषियों के लाईसैंस रद्द करने की प्रक्रिया भी आरम्भ की जा चुकी है।

विस्तार से चर्चा के उपरांत बैठक में यह निर्णय लिया गया कि हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्यानिकीय उपज विपणन (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 2005 के अन्तर्गत बनाए गए नियमों में कड़ी कार्रवाई करने का प्रावधान करने के लिए आवश्यक संशोधन का प्रस्ताव शीघ्र प्रदेश सरकार के समक्ष लाया जाये, जिसमें दोषी व्यापारियों के विरूद्ध कार्रवाई की जा सके। इसमें प्रदेश उच्च सीडब्ल्यूपी दिनेश कुमार व राज्य सरकार के मामले में दी गई व्यवस्था का अनुसरण भी सुनिश्चित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त मण्डी समिति को आदेश दिये गए हैं कि अधिनियम की अनुपालना सुनिश्चित की जाए, ताकि किसानों व बागवानों का शोषण न हो और उन्हें गैर कानूनी अनावश्यक कटौतियों से बचाया जा सके।

गुलाबों से महका नौणी विश्वविद्यालय

सोलन/शैल। डॉ वाईएस परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी में रोज फेस्टिवल का आयोजन किया गया। यह आयोजन विश्वविद्यालय के फ्लोरिकल्चर और लैंडस्केप आर्किटेक्चर विभाग ने किया। सुबह से ही सोलन और आसपास के क्षेत्रों से फूल प्रेमी और छात्र विश्वविद्यालय के डी आर ठाकुर रोज गार्डन में विभिन्न किस्मों और रंगों के हजारों गुलाबों को देखने के लिए आते रहे।

डी आर ठाकुर रोज गार्डन वर्ष 2010 में स्थापित किया गया था और गुलाब की किस्में का जर्मप्लास्म संग्रह यहाँ मौजूद है। अलग अलग रंगों और 600 से अधिक गुलाब की किस्में, जिसमें विदेशी और स्थानीय किस्में शामिल है, इस गार्डन की शोभा बढ़ा रही है। लाल, गुलाबी, सफेद, मैजेंटा, नारंगी, पीले और हरे रंगों में गुलाब देखने के लिए लोगों में बहुत उत्साह दिखा।

इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. एचसी शर्मा मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने जनता के लिए रोज गार्डन खोला जहां वह अलग-अलग रंगों और किस्मों के गुलाबों की सुंदरता को निहार सकेगें। डॉ शर्मा ने विश्वविद्यालय में स्थापित एक हैंगिंग गार्डन का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने कहा कि फूलों की खेती कर किसान अपनी आय में बढ़ौतरी कर सकते हैं। उन्होनें वैज्ञानिकों और छात्रों से फ्लोरीकल्चर में हिमाचल को एक म डल राज्य बनाने की दिशा में काम करने का आग्रह किया क्योंकि किसानों की आय में सुधार करने में यह एक बड़ी भूमिका निभा सकता है। उन्होंने छात्रों से इस क्षेत्र में अंत:विषय अनुसंधान करने का अनुरोध किया ताकि फूल उत्पादकों के लिए नई किस्में विकसित की जा सके।

विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों और छात्रों के अलावा, नौणी और आस पास के क्षेत्रों से लोगों और स्कूली छात्रों ने इस फेस्टिवल में भाग लिया। विभाग ने अपनी अन्य गतिविधियों जैसे कट और सूखे फूलों, पॉट पौधों, नर्सरी, सजावटी पौधों, बोन्साई और कैक्टस को भी प्रदर्शनी के माध्यम से दर्शाया।

डी आर ठाकुर रोज गार्डन में हाइब्रिड टी, फ्लोरिबंडा, पोलींथस जैसे आधुनिक गुलाबों के कई वर्ग शामिल हैं। साथ में छोटे गुलाब (miniature), श्रब और कलाइम्बेर्स गुलाब भी यहाँ मौजूद है। फेस्टिवल में हाइब्रिड टी की किस्में जैसे हॉट प्वाइंट, व्हाइट डिलाइट, जेमिनी, केलिको, मिल्की वे, समर फ्रेगरेंस, अश्वनी आदि प्रदर्शित हैं। फ्लोरिबंडा में ऑरेंज पैशन, रोमांस, व्हाइट एरो, कलर वंडर, फनी कर्ल, टुगेदर फॉरएवर, रेनबो शरबत जैसे कुछ प्रमुख किस्में हैं। श्रब रोज में नॉक आउट, फेडोरा, स्टार्री नाइट, कैंडी माउंटेन और पोलींथास में पिंक स्प्रे, नर्तकी, अंजलि, चंद्रिका, बेस्ट फ्रेंड्स आदि किस्मों के गुलाब देखे जा सकते हैं। इसके अलावा छोटे गुलाब में बेबी ब्लैंकेट, पीक-ए-बू, चिपर, रेड फेयरी जैसी 50 से अधिक किस्मों के गुलाब और कलाइम्बेर्स में रॉयल गोल्ड, सुपर फेयरी, ट्विस्ट जैसी 17 किस्में बगीचे की शोभा बढ़ा रही है।

इस संग्रह के अलावा, विश्वविद्यालय में वाणिज्यिक कट गुलाबों की संरक्षित खेती की जा रही है जिसमें हाइ और मोरा, ब्लश, लेनी, हाई और येलो मैजिक, हॉलीवुड किस्में प्रमुख है। विश्वविद्यालय गुलाब की किस्मों के कटिंग और पौधे भी उत्पादकों के लिए उपलब्ध करवाता हैं।

बीएसएनल से कनेक्टिविटी और स्पीड की उपलब्धता को लेकर निर्वाचन अधिकारी ने मांगी रिपोर्ट

सोलन/शैल। सोलन जिला के सभी 5 विधानसभा क्षेत्रों में 53 मतदान केंद्रों पर मतदान की पूरी प्रक्रिया को लेकर वेबकास्टिंग की जाएगी। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी विनोद कुमार की अध्यक्षता में इन प्रबंधों के मद्देनजर संपन्न हुई बैठक में अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी विवेक चंदेल, एसडीएम सोलन रोहित राठौर, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी संजीव कुमार, नायब तहसीलदार निर्वाचन मोहिन्दर ठाकुर के अलावा अन्य विभागीय अधिकारी और बीएसएनएल के इंजीनियर मौजूद रहे।

उपायुक्त ने कहा कि जिले के अर्की, नालागढ़, दून, सोलन और कसौली विधानसभा क्षेत्रों के जिन 53 मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था की जानी है उन स्थानों पर कनेक्टिविटी की उपलब्धता को लेकर बीएसएनएल के इंजीनियर अपनी रिपोर्ट 27अप्रैल को दोपहर से पूर्व जिला निर्वाचन कार्यालय को दें ताकि उसी के अनुरूप सभी जिले में वेबकास्टिंग की व्यवस्था को व्यवहारिक रूप दिया जा सके। उन्होंने कहा कि बीएसएनल सुनिश्चित करे कि जिन मतदान केंद्रों पर वेब कास्टिंग की जानी है वहां पर इंटरनेट की कनेक्टिविटी और स्पीड बेहतर होनी चाहिए ताकि मतदान प्रक्रिया की अपेक्षित वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग हो सके।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि अर्की विधानसभा क्षेत्र के 13, नालागढ़ के 10, दून के 9, सोलन के 11 और कसौली के 10 मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था की जानी है। संबंधित विधानसभा क्षेत्र के सहायक निर्वाचन अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि वेबकास्टिंग की सुविधा निश्चित किए गए मानदंडों के अनुरूप की गई है। उन्होंने यह भी कहा कि वेबकास्टिंग के तमाम उपकरणों की उपलब्धता और वेबकास्टिंग के संचालन की प्रक्रिया 16 मई तक हर हाल में पूरी होनी चाहिए।

लोकसभा चुनाव विकास और विनाश के बीच होगा:सैजल

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्री डॉ. राजीव सैजल ने कहा कि वर्तमान लोकसभा चुनाव विकास और विनाश के बीच हो रहे हैं। एक ओर देश को विकास की नई ऊंचाईयों पर ले जाने वाले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हैं। तो दूसरी तरफ लगभग 6 दशक तक भारत पर राज करके कांग्रेस पार्टी ने देश को विनाश के कगार पर ला खड़ा किया है। जबकि पांच साल पहले नरेन्द्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में देश में अभूतपूर्व काम किया।

उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की आम जनता के फायदे वाली योजनाओं का असर साफ दिख रहा है। इसके साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे को उन्होंने प्राथमिकता दी है। पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने की नीति भी बनाई। इससे देश की सेनाओं और आम जनता का मनोबल काफी बढ़ा है।

राजीव सैजल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 'आयुष्मान भारत' स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू करके हर परिवार को 5 लाख रूपये तक का इलाज मुफ्त करने का तोहफा दिया। उन्होंने कहा है कि गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली माताओं को 6 हजार रूपये की प्रोत्साहन राशि भी देनी शुरू की गई ताकि समय पर सेहत की जांच करा सकें। गरीब एवं मधयम वर्ग के लोगों को सस्ता इलाज उपलब्ध कराने के लिए देश भर में भारतीय जनऔषधि केन्द्र में जनेरिक दवाईयों की बिक्री की जा रही है। इससे दवाईयां आधे से भी कम कीमतों पर दी जा रही हैं। दिल की बीमारियों से जुड़ी दवाईयों के दाम 60 से 90 प्रतिशत घटा दिए गए हैं। गुर्दे के मरीजों के लिए लगभग 500 डायलिसिस केन्द्र खोलें गए हैं।

उन्होंने कहा कि देशभर में 20 नए एम्स जैसे नये सुपर स्पेशलिटी अस्पताल खोले जा रहे है। पिछले पांच वर्षो में देश के विभिन्न राज्यों में सरकारी एवं निजी क्षेत्रों में करीब 100 मैडिकल कॉलेज खोले गए। जिनमें लगभग 16,000 एम.बी.बी.एस की सीटें बढ़ी हैं। यही नहीं पी.जी की 12646 सीटें मैडिकल कॉलेजों में बढ़ाई गई है। ग्रामीण क्षत्रों में माता बहनों को रसोई के धुंए से छुटकारा दिलाने में मोदी सरकार की प्राथमिकता रही है। सरकार ने लगभग चार करोड़ महिलाओं को 'उज्ज्वला योजना' के अंतर्गत रसोई गैस के कनैक्शन दिए। इस कार्यक्रम में महिलाओं को एल.पी.जी कनेक्शन देने का लक्ष्य आठ करोड़ किया गया। अब लकड़ी, कोयले के धुंए से चार करोड़ से ज्यादा महिलाएं मुक्त हो चुकी हैं।

प्रदेश भाजपा नेता ने कहा कि घर में शौचालय न होने से सबसे ज्यादा कष्ट ग्रामीण क्षेत्रों में माता एवं बहनों को उठाना पड़ता था। प्रधानमंत्री ने गांव-गांव में शौचालय निर्माण के लिए विशेष योजना चलाई। इसके अंतर्गत विभिन्न राज्यों में लगभग आठ करोड़ शौचालय बने और लाखों गांव एवं कई राज्य खुले में शौच से मुक्त हुए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासन के छह दशक विकास की दृष्टि देश में बहुत मामूली योगदान कर पाएं। जबकि नरेन्द्र मोदी सरकार ने पिछले पांच सालों में विकास के मामले में बहुत कुछ किया। उन्होंने कहा कि एक ओर जम्मू-कश्मीर में जिहादी आंतकवादियों को पकड़ने के लिए मोदी सरकार ने सख्त कदम उठाए और पांच साल में सैंकड़ों आंतकवादियों को ढेर कर दिया। दूसरा पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक का सहारा लिया इससे दुनिया भर में भारत की इज्जत बढ़ी और जनता ने खुद को सुरक्षित महसूस किया। यही वजह है कि आज आम जनता प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी को वोट देने के लिए प्रतीक्षा कर रही है।

कांग्रेस प्रत्याशी से संबंधित पंपलेंट को लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज

शिमला/शैल। भाजपा संसदीय कार्यालय प्रभारी चंद्रभूषण नाग द्वारा कांग्रेस प्रत्याशी से संबंधित पंपलेंट को लेकर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत जिला निर्वाचन अधिकारी धर्मशाला के माध्यम से दर्ज करवाई गई थी जिस पर छानबीन के पश्चात् अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला पुलिस में दर्ज करने के लिए लिखित तौर पर कहा गया है। यह जानकारी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के नोडल अधिकारी एडीएम मस्तराम भारद्वाज ने देते हुए बताया कि चंद्रभूषण नाग द्वारा शिकायत के साथ दिए गए पंपलेंट के प्रदर्शित प्रिंटर के मोबाइल नंबर पर भी संपर्क किया गया लेकिन उक्त नंबर स्विच ऑफ आ रहा था इसी आधार पर कांग्रेस प्रत्याशी को नोटिस जारी किया गया जिसमें कांग्रेस प्रत्याशी ने नोटिस का जबाव देते हुए इस तरह का कोई पंपलेंट पब्लिस करवाने से इंकार किया है। एडीएम मस्तराम भारद्वाज ने कहा कि आरपी एक्ट की धारा-127 ए का उल्लंघन मानते हुए इस मामले में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज करवाने के लिए निर्देश दिए गए हैं।

शैल समाचार
संपादक मण्डल
संपादक - बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक - जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार - ऋचा
अन्य सहयोगी
भारती शर्मा
रजनीश शर्मा
राजेश ठाकुर
सुदर्शन अवस्थी
सुरेन्द्र ठाकुर
रीना

दो धर्मों के बीच आपसी भाईचारे को और मजबूत करेगा श्री नैना देवी एवं श्री आनंदपुर साहब रोपवे प्रोजेक्ट

शिमला/शैल। श्री नैना देवी व श्री आनंदपुर साहब के बीच रोपवे के निर्माण को लेकर विगत 28 सितंबर को हुए समझौता ज्ञापन के बाद हिमाचल प्रदेश व पंजाब दोनों राज्यों के संयुक्त उपक्रम के रूप में गठित 'श्री नैना देवी जी और श्री आनंदपुर साहिब जी रोपवे कंपनी प्राइवेट लिमिटेड' के निदेशक मंडल की पहली बैठक चंडीगढ़ के

पंजाब भवन में आयोजित हुई, जिसमें दोनों राज्यों के आला अधिकारियों ने भाग लिया।

हिमाचल प्रदेश की ओर से अतिरिक्त मुख्य सचिव (पर्यटन) राम सुभग सिंह, निदेशक पर्यटन अमित कश्यप व अतिरिक्त निदेशक मनोज शर्मा और पंजाब सरकार की तरफ से अतिरिक्त मुख्य सचिव बिन्नी महाजन, प्रधान सचिव विकास प्रताप, प्रधान सचिव (वित्त) अनिरूद्ध तिवारी, निदेशक पर्यटन मलविंदर सिंह जग्गी और आईआरएसई के प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनूप के अग्रवाल बैठक में शामिल हुए।

210 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से बनने वाले इस प्रोजेक्ट के लिए गठित की गई संयुक्त उपक्रम कंपनी के निदेशक मंडल में 5 निदेशक हिमाचल प्रदेश सरकार और पांच निदेशक पंजाब सरकार द्वारा मनोनीत किए गए हैं। शुरुआती पूंजीगत निवेश में 50 – 50 लाख रुपये की राशि दोनों राज्यों द्वारा जमा करवाई जा रही है। इस रोपवे के निर्माण से प्रमुख शक्तिपीठ श्री नैना देवी जी तक पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को चढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी और पंजाब के श्रद्धालु आराम से धार्मिक स्थल पर पहुंच कर वहां अपने श्रद्धा के फूल चढ़ा सकेंगे।

यह प्रोजेक्ट दो राज्यों व दो धर्मों के बीच आपसी भाईचारे व सद्भावना की डोर को और मजबूत करेगा। जिस तरह 52 शक्तिपीठों में से एक श्री नैना देवी हिमाचल प्रदेश व देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए एक प्रमुख धार्मिक स्थल है, उसी तरह श्री आनंदपुर साहब भी एक धार्मिक स्थल होने के साथ – साथ पूरे विश्व के लिए आस्था का केंद्र है।

इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को हकीकत में बदलने के लिए लंबा सफर तय करना पड़ा और कई अड़चनें भी राह में आई। वर्ष 2012 – 13 में भी इस रोपवे के निर्माण का प्रयास किया गया था और इसके लिए 14 एकड़ जमीन भी अधिकृत की गई थी लेकिन किन्हीं परिस्थितियों में इसका निर्माण नहीं हो पाया। पिछले साल 28 सितंबर को चंडीगढ़ में दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों की उपस्थिति में इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के एमओयू पर हस्ताक्षर हुए और यह तय हुआ कि दोनों राज्य मिलकर इसके निर्माण को आगे बढ़ाएंगे और यह रोपवे दोनों राज्यों का संयुक्त उपक्रम होगा। इस प्रोजेक्ट का लोअर टर्मिनल पंजाब में श्री आनंदपुर साहब के निकट रामपुर में, इंटरमीडिएट स्टेशन हिमाचल के टोबा में और अप्पर टर्मिनल प्वाइंट श्री नैना देवी में होगा।

गौरतलब है कि श्री नैना देवी मंदिर में शीश नवाने अस्सी प्रतिशत श्रद्धालु पंजाब से आते हैं और पिछले साल करीब 25 लाख श्रद्धालुओं ने इस शक्तिपीठ में शीश नवाया था। इस रोपवे के निर्माण से और अधिक श्रद्धालु श्री नैना देवी मंदिर पहुंच पाएंगे। इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को हकीकत में बदलने के लिए दोनों राज्यों के पर्यटन विभाग इसकी नोडल एजेंसी के रूप में काम कर रहे हैं और आगामी अढ़ाई वर्ष के भीतर इसे पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

इस रोपवे के निर्माण के लिए मैसर्ज इंडियन पोर्ट रेल कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा फ्री फिजिबिलिटी स्टडी की गई थी और इस निदेशक मंडल की बैठक में इस बारे कंपनी के अधिकारियों द्वारा अपनी प्रस्तुति भी दी गई और यह बताया गया कि 3 वर्ष पहले गठित यह कंपनी इस समय देश में 12 ऐसे रोपवे बना रही है जिनमें 8 किलोमीटर लंबा एलीफेंटा मुंबई रोपवे भी शामिल है

कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष राठौर का राज्य निर्वाचन आयोग पर पक्षपात का आरोप

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भाजपा के नामांकन के समय भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा प्रतिबन्ध के बावजूद शिमला माल रोड़ से ढ़ोल नगाडों और नारेबाजी के साथ निकाले गये जलूस को लेकर निर्वाचन आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।

हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस पार्टी ने जिस दिन शिमला में लोकसभा के लिए नामांकन दाखिल किया जिलाधीश शिमला जो जिला निर्वाचन अधिकारी भी है ने राज्य निर्वाचन आयोग का हवाला देकर ये आदेश दिये कि न तो लोअर बाजार से जलूस निकाल सकते हैं और न ही एजी चौक से उपायुक्त कार्यालय तक या माल रोड़ से किसी किस्म के जलूस व नारेबाजी की इजाजत मिल सकती है। इतना ही नही नामांकन के समय मीडिया पर भी पूर्णतया प्रतिबन्ध लगा दिया जिसका कांग्रेस पार्टी ने पूरी तरह पालन किया।

राठौर ने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस नामांकन के लिए प्रशासन द्वारा दिये गये निर्देशों के विपरीत 25 अप्रैल को भाजपा द्वारा किये नामांकन के समय आचार संहिता की सरेआम धज्जियां उड़ाई गई। भाजपा के वरिष्ठ नेता जलूसों की शक्ल में ढ़ोल नगाड़ों के साथ नारेबाजी करते हुए पुलिस प्रशासन की देख रेख में उपायुक्त कार्यालय में पहुँचे और नामांकन के दौरान कुछ मीड़िया के लोगों को भी इजाजत दी गई जो सरासर पक्षपात है।

कुलदीप सिंह राठौर ने राज्य निर्वाचन आयोग पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बार – बार सार्वजनिक मंचों से असभ्य भाषा का प्रयोग कर रहें है और कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल में चुनाव सम्पन्न होने तक सतपाल सत्ती पर पूर्णतया प्रचार पर पाबन्दी लगाने की मांग की थी जबकि उनको 48 घण्टों का बैन लगाकर खुला छोड दिया जो नाकाफी है। कांग्रेस पार्टी सतपाल सत्ती पर पूरे चुनाव के लिए प्रतिबन्ध की मांग करती है।

कुलदीप सिंह राठौर ने चेतावनी देते हुए सभी जिलों के निर्वाचन अधिकारियों एवं राज्य चुनाव आयोग को आग्रह किया है कि भाजपा का पिठू बनने के बजाये पक्षपात छोड़ कर भारतीय चुनाव आयोग के नियमानुसार अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें जो विश्व के सबसे बडे लोकतन्त्र के लिए जरूरी है और चुनाव आयोग कि विश्वसनीयता भी आम जन मानस के बीच कायम रह सकें।

कांग्रेस पार्टी झूठ बोलने की मशीन:धूमल

शिमला/शैल। राफेल मामले पर झूठ बोलने वाले राहुल गांधी ने कोर्ट में माफीनामा देकर अपने बयान पर खेद जताया है जो साबित करता है राहुल गांधी समेत पूरी कांग्रेस पार्टी झूठ बोलने की मशीन है। हमीरपुर

विधानसभा के बलोह, लंबलु, बोहनी, गुलेला, बल्ह, अणू और हमीरपुर शहर में आयोजित विभिन्न चुनावी जनसभाओं को संबोधित करते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने झूठ साबित होने पर कांग्रेस की खूब धज्जियां उड़ाई। उन्होंने कांग्रेस को खूब खरी खोटी सुनाते हुए कहा कि सत्ता के बाहर बैठी हुई कांग्रेस पार्टी छटपटाहट में है, भ्रष्टाचार और घोटालों से दागदार कांग्रेस की झोली में जनता तो वोट डालेगी नहीं बाकी महागठबंधन के सहारे सत्ता की चाबी हाथ में लेने के सपने देख रही कांग्रेस को वहां भी निराशा ही हाथ लगी है। कांग्रेस के डूबे हुए जहाज में कोई नहीं चढ़ना चाहता। कांग्रेस की गठबंधन की कोशिशें भी नाकाम हुई हैं। यह 5 साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई गई सशक्त सरकार और ईमानदारी का प्रभाव है। मुद्दाविहीन कांग्रेस देशवासियों को बेवकूफ समझती है, प्रधानमंत्री और सुप्रीम कोर्ट का अपमान करती है, जनता उनको कभी माफ नहीं करेगी।

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कांग्रेस पार्टी ने तो देश की सुरक्षा सेनाओं को भी अपमानित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। थल सेना और वायु सेना का अपमान कांग्रेस पार्टी ने किया है। देश की बहादुर थल सेना और अचूक वायु सेना के द्वारा देश के दुश्मनों पर की गई सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक पर कांग्रेस पार्टी ने केवल इसलिए प्रश्नचिन्ह लगा दिया कि कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि मजबूत इच्छाशक्ति का यह देश दीवाना ना हो जाए। लेकिन हुआ वही कांग्रेस ने सेना के शौर्य पर सवाल उठाकर अपनी ही फजीहत करवाई है।

प्रोफेसर धूमल ने याद दिलाते हुए कहा कि वह भी दिन थे जब आरक्षण के नाम पर और अमीर गरीब के नाम पर बंदरबांट कर कांग्रेस पार्टी सरकारी योजनाओं का लाभ अपने चहेतों पर लुटाती थी। भाजपा ने केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक ऐसी निष्पक्ष और राष्ट्रवादी सरकार दी जिसने देश के दुश्मनों के आरक्षण के नाम पर देश को बांटने के मंसूबों को नाकाम करते हुए आर्थिक आधार पर स्वर्णो को भी आरक्षण का अधिकार दिया। जन धन योजना में करोड़ों गरीबों के खाते खुलवा दिए ताकि सरकारी योजनाओं की सब्सिडी उन्हें भी मिल सके, जो कांग्रेस राज में नहीं मिलती थी। गरीब मां बाप के काबिल बेटे को मुद्रा योजना लाकर अपना उद्योग, अपना रोजगार शुरू करने का अधिकार दे दिया नहीं तो पैसों के अभाव में वे नौकरी करने तक ही सीमित रह जाता था। मोदी सरकार ने वह करके दिखाया है जो कांग्रेस ने कभी नहीं किया मोदी सरकार ने आम जनता का विश्वास जीतकर दिखाया है। चुनावों में फिर से लोग मोदी सरकार लाने के लिए मतदान करेंगे, भाजपा जीतेगी, केंद्र में सरकार बनाएगी। हिमाचल के चारों सांसद विजयी होंगे, अनुराग ठाकुर जीत का चौका लगाएंगे और फिर से हमीरपुर संसदीय क्षेत्र को विकास की राह पर दौड़ाएंगे।

हिमाचल में देश विदेश के पर्यटक पूरा लाभ उठा रहे होमस्टे का

हमीरपुर/शैल। हिमाचल प्रदेश में पर्यटन विकास के क्षेत्र में होम स्टे योजना का बहुत बड़ा महत्व है। पर्यटन विभाग के अतिरिक्त निदेशक डॉ मनोज शर्मा ने ये बात सोलन स्थित जिला परिषद हॉल में सिरमौर और सोलन जिलों के होमस्टे संचालकों के लिए आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला के

दौरान अपने संबोधन में कही।

उन्होंने कहा कि होमस्टे जहां पर्यटकों को दूरदराज के क्षेत्रों में भी ठहरने की बेहतर व्यवस्था उपलब्ध करते हैं वहीं इन क्षेत्रों के पर्यटन विकास में भी भागीदारी रहती है। उन्होंने होमस्टे संचालकों का आह्वान करते हुए कहा कि वे पर्यटन की मौजूदा जरूरतों और अपेक्षाओं के मुताबिक होमस्टे में सुविधाएं पर्यटकों को उपलब्ध करना सुनिश्चित बनाएं।

उन्होंने यह भी बताया कि हिमाचल के पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर होमस्टे की पूरी जानकारी उपलब्ध है। हिमाचल प्रदेश के कोने – कोने में स्थित इन होम स्टे की पूरी जानकारी वेबसाइट के माध्यम से पर्यटकों को हासिल हो रही है और देश विदेश के पर्यटक इसका पूरा लाभ भी उठा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में केवल सिरमौर और सोलन जिलों में ही 164 होमस्टे उपलब्ध हैं। कार्यशाला के दौरान होमस्टे संचालकों को होटल प्रबंधन संस्थान कुफरी से आए स्त्रोत व्यक्तियों द्वारा होमस्टे संचालन को लेकर उपयोगी टिप्स दिए गए ताकि होमस्टे संचालक वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अनुरूप होमस्टे सुविधाओं को उपलब्ध कर सकें। इस मौके पर सोलन – सिरमौर जिलों के जिला पर्यटन विकास अधिकारी विवेक चौहान के अलावा होटल प्रबंधन संस्थान कुफरी से आए सुशील कुमार, यथार्थ चौहान और अभिषेक राजन भी मौजूद रहे।

दण्ड का डर नहीं होने से लोग गलत कार्य करने लग जाते है।
"चाणक्य"

सम्पादकीय

क्या न्यायपालिका भी खतरे में है

''इस समय न्यायापालिका भी संकट में है। उसे रिमोट कन्ट्रोल से नियन्त्रित करने का प्रयास किया जा रहा है।'' यह प्रतिक्रिया रही है देश के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायधीशों की जब प्रधान न्यायधीश रंजन गगोई के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप लगे। यह आरोप लगना एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि गगोई सर्वोच्च न्यायालय के उन चार न्यायधीशों में शामिल थे जिन्होने एक पत्रकार वार्ता करके शीर्ष अदालत की विश्वसनीयता पर लगते प्रश्नचिन्हों पर चिन्ता व्यक्त की थी और देश की जनता का ध्यान इस ओर आकर्षित किया था। इन न्यायधीशों की चिन्ता का आधार था पिछले कुछ अरसे में शीर्ष अदालत के सामने आये कुछ महत्पूर्ण मामलों को लेकर जो आचरण सुप्रीम कोर्ट का रहा है। इन मामलों को पूरा देश जानता है इसलिये मैं यहां पर उनके विवरण में नही जाना चाहता । यहां चिन्ता ओर चिन्तन का विषय यह है कि जो न्यायधीश देश के सामने सर्वोच्च न्यायालय की साख को लेकर चिन्ता व्यक्त कर चुका हो उसके अपने ही खिलाफ ऐसे आरोप लग जायें तो इससे विश्वास को एक गहरा आघात लगना स्वभाविक है। किसी संस्था की प्रतिष्ठा उसके भव्य भवन निर्माण से नही वरन उसको संचालित कर रहे लोगों के अपने आचरण से बनती और बिगड़ती है। फिर जब ऐसी संस्था सर्वोच्च न्यायालय हो तो वस्तुस्थिति की गंभीरता और भी बढ़ जाती है। क्योंकि आम आदमी के भरोसे के शीर्ष संबल ईश्वर और न्यायपालिका ही होती है। इसलिये तो जहां राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता है वहीं न्यायधीश को स्वयं ईश्वर की संज्ञा दी गयी है संभवत: इसी कारण से अदालत में न्यायधीश को '' माई लार्ड'' कहकर संबोधित किया जाता है। क्योंकि न्यायधीश के पास ही मृत्यु दण्ड का अधिकार है।

इस परिपेक्ष में यह आवश्यक हो जाता है कि ऐसे न्यायधीशों पर लगने वाले आरोपों की जांच के लिये प्रक्रिया आम आदमी से कुछ भिन्न हो यह सही है कि हर आदमी कानून के सामने एक समान है और यौन शोषण के आरोपों की जांच के लिये जो व्यवस्था समय-समय पर स्वयं सर्वोच्च न्यायालय ने कर रखी है उसके अनुसार तो प्रधान न्यायधीश को अपने पद से पहले हट जाना चाहिये। फिर इन आरोपों पर जो जो प्रतिक्रियाएं विभिन्न वर्गो से आयी हैं उसका मंतव्य भी अधिकांश में इसी तरह का रहा है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित की गयी ''इन हॉऊस जांच कमेटी'' की प्रक्रिया पर जिस तरह से सवाल उठाये गये हैं उसका आश्य इसी तरह का है। यौन शोषण के आरोप लगाने वाली महिला की दिसम्बर में हुई नौकरी से बर्खास्तगी को उसके दोष के अनुपात से अधिक बताया जा रहा है और अपरोक्ष में इस बर्खास्तगी को इन आरोपों का ही प्रतिफल करार दिया जा रहा है। इन आरोपों और इस बर्खास्तगी पर 250 महिला वकीलों/बुद्धिजीवियों ने एक पत्र लिखकर जिस तर्ज पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है उसका आश्य भी लगभग ऐसा ही है। लेकिन इस सबमें एक बड़ा सवाल जो अनुतरित रह जाता है वह है कि यदि आज प्रधान न्यायधीश अपने पद से अलग हो जाते हैं वह न्यायिक दायितत्व छोड़ देते हैं और फिर यदि जांच में उनके खिलाफ लगाये गये आरोप निराधार साबित हो जाते हैं तो क्या उनका आज पद से अलग होना उन ताकतों की जीत नही होगी जो उन्हे पद से हटाना चाहते हैं।

इस परिदृश्य में यह आवश्यक हो जाता है कि यह आरोप कब लगे और इन्हें न्यायपालिका पर हमला क्यों कहा जा रहा है इस पूरे प्रकरण से जुडे कुछ आवश्यक तथ्य पाठकों के सामने रखे जायें। इसमें सबसे प्रमुख है आरोप लगाने वाली महिला। यह महिला मई 2014 से सर्वोच्च न्यायालय में सेवारत है। 27 अगस्त 2018 को इसका स्थानान्तरण प्रधान न्यायधीश के आवास स्थित कार्यालय में हुआ। इसके बाद 22 अक्तूबर 2018 को इसका स्थानान्तर सर्वोच्च न्यायालय के रिर्सच और प्लानिंग प्रभाग में हो गया और 22 नवम्बर को पुस्तकालय प्रभाग में स्थानान्तरण हो गया। प्लानिंग प्रभाग में इसके खिलाफ अनुशासनहीनता के आरोप लगे। इन आरोपों की जांच में दोषी पाये जाने पर 21 दिसम्बर 2018 को इसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया। जब अनुशासनहीनता के आरोप लगे और जांच के बाद बर्खास्तगी की सज़ा दी गयी उस दौरान यौन उत्पीड़न के यह कोई आरोप नही लगाये गये। इसी दौरान सर्वोच्च न्यायालय में अनिल अंबानी और ऐरीसन के बीच 550 करोड़ की अदायगी को लेकर अदालत की अवमानना का मामला चल रहा था। इस मामले की सुनवाई कर रही जस्टिस आर एफ नरीमन और जस्टिस विनित सरन की पीठ ने अंबानी को अदालत में पेश होने के आदेश किये थे। यह यह आदेश सर्वोच्च न्यायालय की वैबसाईट पर 7-1-2019 को अपलोड़ हुए। लेकिन अपलोड़ करते हुए आदेश वाक्य "Personal appearance of the alleged contemnor(s) is not dispensed with," में से not शब्द छूट गया। यह शब्द छूटने से आदेश का अर्थ ही बदल गया। दस जनवरी को ऐरीसन के प्रतिनिधि इसे अदालत के संज्ञान मे लाये। अदालत ने इसका कड़ा संज्ञान लिया इस कोताई की जांच हुई और इसके लिये सुप्रीम कोर्ट के दो अधिकारियों मानव शर्मा और तपन चक्रवर्ती को नौकरी से बर्खास्त कर दिया। इस मामले में अनिल अंबानी को 12 और 13 फरवरी को अदालत में मौजूद रहना पड़ा और अन्त: ऐरीसन को पैसे देने पड़े।

यह सब होने के बाद अब 19-4-2019 को इस महिला सर्वोच्च न्यायालय के सभी 22 जजों को 20 पन्नों का पत्र लिखकर प्रधान न्यायधीश के खिलाफ यह आरोप लगाये हैं। यह आरोप सामने आने पर प्रधान न्यायधीश ने इसका संज्ञान लेते हुए इसकी सुनवाई के लिये तीन जजों की पीठ का गठन कर दिया। पीठ ने इसकी इन हॉऊस जांच के साथ ही सेवा निवृत जस्टिस ए के पटनायक को अलग से जांच की जिम्मेदारी सौंपी है। सीबाआई, आईबी और दिल्ली पुलिस कमीशनर को इस जांच में सहयोग करने के निर्देश दिये हैं। जब यह आरोप सामने आये तब उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के ही एक वकील उत्सव वैंस ने एक शपथपत्र दायर करके यह खुलासा किया है कि कुछ लोग उसके पास आये थे और वह इस तरह का एक मामला तैयार करने में उसका सहयोग चाहते थे। इसके लिये वह 1.5 करोड़ उसे देने को तैयार थे। वैंस ने अपने शपथपत्र में अन्य के साथ मानव शर्मा और तपन चक्रवर्ती के नामो का उल्लेख किया है। उत्सव बैंस के शपथपत्र में यह आरोप है कि सर्वोच्च न्यायालय में बैंच फिक्सिंग के धन्धे में लगे हुए हैं। उत्सव का यह आरोप और भी गंभीर है। राफेल प्रकरण भी जनता के सामने है। सर्वोच्च न्यायाल इसमे अपने ही पूर्व फैसले पर पुन: विचार के लिये बाध्य हो गया है।

इस तरह जो कुछ घटा है उसमें यह बहुत महत्वपूर्ण है कि जिस महिला के साथ उसके पत्र के मुताबिक उत्पीड़न की घटना दस अक्तूबर को घट जाती है इस घटना के बाद अनुशासनहीनता के लिये उसके खिलाफ कारवाई हो जाती है लेकिन उस दौरान यह आरोप नही लगते हैं। अब अंबानी और राफेल जैसे प्रकरण घट जाने के बाद इन आरोपों का लगना एक महज संयोग है या इसके पीछे कुछ और है। यह देश के सामने आना बहुत जरूरी है और जिस तरह से सर्वोच्च न्यायालय ने जांच के कदम उठाये हैं और प्रतिबद्धता दिखाई है उसको सामने रखते हुए यह बहुत संभव है कि महिला पर कोई दबाव रहा हो और यह आरोप सही में न्यायपालिका पर हमले की ही साजिश हो।

सवाल न्यायपालिका की स्वतंत्रता, गरिमा व मर्यादा का

गौतम चौधरी

देश के तीन सर्वाधिक ताकतवर लोगों में से एक सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश, न्यायमूर्ति रंजन गोगोई ने अपने उपर लगे आरोप को न्यायालय की स्वतंत्रता के साथ जोड़ दिया है। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई ने अपने खिलाफ लगाये गये यौन उत्पीड़न के आरोपों को 'अविश्वसनीय' बताते हुये सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अप्रत्याशित सुनवाई की और कहा कि इसके पीछे एक बड़ी साजिश का हाथ है। उन्होंने कहा कि वह इन आरोपों का खंडन करने के लिये भी इतना नीचे नहीं गिरेंगे। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप सुर्खियों में आने के बाद जल्दबाजी में सुनवाई करते हुये उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में संयम बरतने और जिम्मेदारी से काम करने का मुद्दा मीडिया के विवेक पर छोड़ दिया ताकि न्यायपालिका की स्वतंत्रता प्रभावित नहीं हो। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की विशेष पीठ ने करीब 30 मिनट तक इस मामले की सुनवाई की। इस मामले में शीर्ष अदालत ने कहा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बहुत ही गंभीर खतरा है और प्रधान न्यायाधीश के खिलाफ बेशर्मी के साथ यौन उत्पीड़न के आरोप लगाये गये हैं क्योंकि कुछ 'बड़ी ताकत' प्रधान न्यायाधीश के कार्यालय को 'निष्क्रिय' करना चाहती है।

इस मामले की सुनवाई करने वाली न्यायालय की पीठ जो कह रही है, वह वाकई में सही है? यह सवाल आज हर जिम्मेदार नागरिक के मन में है। यह लोकतांत्रिक मूल्यों पर चलने वाला देश है। यहां हर संवैधानिक इकाइयां अपने आप में स्वतंत्र है। न्यायमूर्ति रंजन गोगोई इतने ताकतवर आदमी हैं कि प्रोटोकॉल तोड़ कर भारत के प्रधानमंत्री उनसे मिलने उनके कक्ष में जाते हैं। ऐसे में न्यायालय का यह कहना कि उनके खिलाफ साजिश हो रही है, कई गंभीर प्रश्न खड़े करता है। न्यायमूर्ति गोगोई के उपर किसने आरोप लगाया, मामला क्या है उसपर ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है लेकिन इस मामले में इस बात पर तो चर्चा होनी ही चाहिए कि आखिर न्यायमूर्ति गोगोई पर लगे आरोप न्यायालय गरिमा को सचमुच ठेस पहुंचा रहा है?

कायदे से इस देश में हर एक व्यक्ति समान है। कुछ महत्वपूर्ण लोगों को कुछ विशेष संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं लेकिन वह अधिकार उनके व्यक्तिगत उपयोग के लिए नहीं है। वह अधिकार उनके संस्थागत उपयोग के लिए है। व्यक्तिगत मामले में वे उसी तरह हैं जिस तरह इस देश की एक आम जनता है। ऐसे में सर्वोच्च न्यायालय की पीठ के द्वारा कही गयी बात कितना तर्कसंगत है यह खुद न्यायालय को ही तय करना होगा। दरअसल, खुद उच्चतम न्यायालय ने एक मामले में निजी और संस्थागत आरोपों को परिभाषित किया था। फौजदारी कानूनी मामले के जानकार अधिवक्ता धीरज कुमार ने बताया कि ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार के एक मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्ण पीठ ने कहा था कि महिला के आरोप मामले में पहले एफआईआर दर्ज होगा फिर जांच की प्रक्रिया प्रारंभ होगी लेकिन संवैधानिक पद पर बैठे लोगों को इस मामले में थोड़ी रियायत दी गयी है। मसलन ऐसे मामले में संवैधानिक पद पर बैठे लोगों को अपने पद की गरिमा का ख्याल खुद रखना होता है।

यह मामला 2016 का बताया जा रहा है। मामले में किसी प्रकार का कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है। मामला तब सामने आया जब कुछ समाचार माध्यमों ने मामले को उठाया। इससे पहले यह मामला सार्वजनिक नजरों से दूर था। कायदे से तो इस मामले में आरोप लगते ही कोर्ट को स्वत: संज्ञान लेना चाहिए था लेकिन देर हुई और कई सवाल खड़े हुए और इस देरी के कारण कई सवाल खड़े हुए।

दूसरी बात यह है कि जब न्यायपालिका के सर्वोच्च अधिकारी पर आरोप लगे हैं तो जांच होनी चाहिए। जांच के बाद ही यह तय हो पाएगा कि आरोप सही है या गलत। जिस प्रकार कोई उच्चस्थ प्रशासनिक अधिकारी या फिर लोक प्रतिनिधि के मामले में कार्रवाई होती है, न्यापालिका पर भी वही नियम लागू होता है। न्यायमूर्ति गोगोई को भी आरोप के साथ ही अपने पद की गरिमा के अनुकूल व्यवहार करना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में समाचार माध्यमों को संयम बरतने की नसीहत दी है। निःसंदेह ऐसे संवेदनशील मामलों पर समाचार माध्यम को संयम बरतना चाहिए लेकिन यही बात खुद न्यायपालिका पर भी लागू होता है। न्यायमूर्ति गोगोई के मामले में दो ऐसे मौके आए जब खुद न्यायपालिका ने मीडिया को ट्रायल के लिए उकसाया। पहला मौका जब चार जजों के साथ वे अपने सीनियर, न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा के खिलाफ रोस्टर को लेकर मोर्चा खोले थे और दूसरा मौका तब आया जब उन्होंने अपने निजी मामले पर सार्वजनिक रूप से मीडिया पर निशाना साधा।

ऐसे में वे मीडिया से संयम की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं। वैसे सच पूछिए तो इस मामले में मीडिया लगातार संयम बनाए हुए है। वैसे भी कोर्ट के मामले में कई प्रकार की वैधानिकता के कारण मीडिया संयम में ही रहती है। फिर ऐसे संजीदे मामलों में मीडिया को डर भी होता है। इसलिए मीडिया को बार-बार संयमित और विवेकपूर्णता की नसीहत देने वाले न्यायालय को मीडिया नहीं खुद को संयमित करना चाहिए। अपने विवेक के आधार मीडिया सतही ही सही लेकिन देश में एक सजग सरोकार का परिचय दिया है लेकिन जब जजों ने अपने सीनियर पर आरोप लगाए तो फिर वहां गरिमा खंडित हुई कि नहीं, यह सवाल भी न्यायपालिका को खुद अपने से पूछना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में मीडिया को अपनी भूमिका निभाने के लिए बाध्य तो होना पड़ता है।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह देश अपने लोकतांत्रिक संस्थाओं की इज्जत करना जानता है। न्यायपालिका देश की तीन महत्वपूर्ण संवैधानिक इकाइयों में से एक है। उसकी गरिमा और मर्यादा पर आक्रमण देश की संपभुता पर आक्रमण माना जाता है। न्यायमूर्ति गोगोई संस्था के प्रधान हैं लेकिन उनके उपर जो आरोप लगे हैं वह निजी तौर पर लगे हैं और मामले को निजी तौर पर ही लिया जाना चाहिए। जब आरोप लगा है तो जांच होनी चाहिए और जांच में फिर आंच किस बात की। जब हमारे न्यायमूर्ति पाक-साफ हैं तो उन्हें डरना नहीं चाहिए और इस मामले में जांच की स्वतंत्रता पर सवाल न खड़े हों इसका ध्यान भी उन्हें खुद रखना चाहिए।

सबसे अहम बात यह है कि जब से केन्द्र में नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार बनी है तब से लगातार यह सुनने को मिल रहा है कि देश की फलां संवधानिक इकाई खतरे में पड़ गयी है। कभी भारतीय रिजर्व बैंक पर तो कभी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के बारे में खबरें छपती रही है। एक बार तो न्यायमूर्ति गोगोई खुद कुछ जजों के साथ मीडिया के सामने मुखातिब हो गए थे और न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर सवाल खड़े किए, लेकिन बाद में वे जिस संस्था पर आरोप लगाए उसी संस्था के प्रधान नियुक्त हुए। इसलिए संजीदगी से न्यायपालिका को भी अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। यदि उनके यहां किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी है तो उन्हें खुद उसे ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो आने वाले समय में देश की संवैधानिक इकाइयों की स्वतंत्रता पर सवाल खड़े होते रहेंगे।

हालांकि इस मामले में आरोप लगाने वाली महिला की भावना पर भी ध्यान देने की जरूरत है। खबरों के अनुसार मामला 2016 का है। इतने दिनों तक महिला चुप रहती है लेकिन जब न्यायमूर्ति उच्चस्थ पद पर आरूढ होते हैं उसके बाद महिला सक्रिय हो जाती है। इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय की बातों में भी दम है। फिलहाल चीफ जस्टिस के पास कई अहम केस हैं। उसमें से एक मामला राफेल विमान खरीद का भी मामला है। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को फिर से स्वीकार कर लिया है। ऐसे में न्यायपालिका को दबाव में लाने की साजिश से इन्कार नहीं किया जा सकता है। ऐसा है तो भी जांच होनी चाहिए और मामले में दूध का दूध और पानी का पानी तभी संभव है जब स्वतंत्र जांच एजेंसी इसकी जांच करे। न्यापालिका पीठ की गरिमा और मर्यादा सर्वोपरी है, इसपर संदेह नहीं किया जा जा सकता है।

कई ऐसे मौके आए हैं जब न्यायपालिका ने अपनी ताकत दिखाई है। हालांकि न्यायपालिका की अपनी हद है और वह अपने हद में बेहद मजबूत है। कभी-कभी तो उसने सरकार के निर्णय को पलट कर यह साबित कर दिया है कि सरकार भी अपने हद में रहे। वह अपनी सीमा का अतिक्रमण करेगी तो संविधान उसे भी निर्देशित करेगा। हाल ही में उत्तराखंड की हरीश रावत वाली सरकार के मामले में न्यायालय ने जो निर्णय सुनाए वह केन्द्र को आईना दिखाने वाला निर्णय था। इसलिए इस देश में न्यायपालिका की गरिमा और मार्यादा पर सवाल खड़े करना असंभव है। इसे कमजोर भी नहीं किया जा सकता है। कानून का राज जबतक रहेगा न्यायालय की गरिमा अक्षुण रहेगी लेकिन निजी मामले को लेकर यदि न्यायालय अपनी गरिमा और मार्यादा की दुहाई देंगा तो न्यायपालिका पर सवाल खड़े होंगे। डडे उनके चाहे जितने बड़े हों लेकिन जनका का विश्वास कायम रखने में वे नाकाम रहेंगे और वह क्षण इस देश के लिए दुर्भाग्य का क्षण होगा।

अर्थव्यवस्था की मजबूती हेतु चुनाव सुधार जरूरी

–डॉ. हनुमंत यादव–

मैंने कुछ माह पहले चुनाव आयोग को सुझाव दिया था कि चुनाव के पहले चरण की आचार संहिता लागू होने के बाद प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों के विरोधी दलों के शासित राज्यों के दौरों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। उसी प्रकार एक राज्य के मुख्यमंत्री को दूसरे राज्य में जाकर वहां चुनाव प्रचार करने व उस राज्य के मुख्यमंत्री की आलोचना करने पर भी रोक लगनी चाहिए। मेरी राय में संवैधानिक पदों की मर्यादा एवं शिष्टाचार बनाये रखना चाहिए। चूंकि चुनाव राजनीतिक दल लड़ते हैं इसलिए मंत्रियों की बजाय संगठन के पदाधिकारियों को चुनाव प्रचार और रैलियों को संबोधित करना चाहिए। किन्तु वह सुझाव अनदेखा रहा।

सात चरणों में सम्पन्न होने वाले लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के चुनावी दौरे के कार्यक्रम के अनुसार वे पूरे देश भर का दौरा करके 51 दिन में 150 रैलियों को संबोधित करेंगे। लोक सभा चुनाव के पहले चरण में उन्होंने एक माह में 18 राज्यों और दो केन्द्र शासित राज्यों के 91 चुनाव क्षेत्रों में रैलियों को संबोधित कर चुके हैं। वे जिस किसी गैर-भाजपा शासित राज्य को दौरा करते हैं वे प्रोटोकाल भूलकर वहां के मुख्यमंत्री की नाकाम बताते हुए आलोचना करते हैं। प्रारंभ में गैर-भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शिष्टाचार के नाते उनसे विमानतल पर सौजन्य भेंट करने जाते थे, किंतु अब प्रधानमंत्री द्वारा उन्ही के राज्यों में की जानेवाली आलोचनाओं से नाराज होकर उन लोगों ने शिष्टाचार भेंट करना बंद कर दिया है। अब उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी भाजपा की बजाय नरेन्द्र मोदी का नाम लेकर उनकी आलोचना प्रारंभ कर दी है। 2014 के चुनाव में चायवाला अभियान के केन्द्र में स्वयं नरेन्द्र मोदी थे जबकि वर्तमान में हूं चौकीदार अभियान के केन्द्र में प्रधानमंत्री का पद हो गया है। इस प्रकार हर कोई चौकीदार चोर कटाक्ष करके प्रधानमंत्री पद को निशाना बना रहा है। मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री ने स्वयं प्रधानमंत्री पद की गरिमा को नुकसान पहुंचाया है।

मैंने कुछ माह पहले चुनाव आयोग को सुझाव दिया था कि चुनाव के पहले चरण की आचार संहिता लागू होने के बाद प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों के विरोधी दलों के शासित राज्यों के दौरों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। उसी प्रकार एक राज्य के मुख्यमंत्री को दूसरे राज्य में जाकर वहां चुनाव प्रचार करने व उस राज्य के मुख्यमंत्री की आलोचना करने पर भी रोक लगनी चाहिए। मेरी राय में संवैधानिक पदों की मर्यादा एवं शिष्टाचार बनाये रखना चाहिए। चूंकि चुनाव राजनीतिक दल लड़ते हैं इसलिए मंत्रियों की बजाय संगठन के पदाधिकारियों को चुनाव प्रचार और रैलियों को संबोधित करना चाहिए। किंतु वह सुझाव अनदेखा रहा। आश्चर्य की बात है कि प्रधानमंत्री द्वारा दूसरे राज्यों में चुनाव प्रचार और रैलियों में विरोधी दलों के मुख्यमंत्रियों की आलोचना को विरोधी दलों द्वारा आचार संहिता में प्रतिबंध लगाने के लिए मांग करनी चाहिए थी किंतु चुनाव आयोग से किसी भी राजनीतिक दल ने मांग नहीं की। उसकी बजाय वे ईवीएम मशीनों को हटाने की मांग कर रहे हैं।

विगत सप्ताह एक राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में भारत में तीव्र आर्थिक विकास एवं लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को मजबूत करने के लिए आवश्यक राजनीतिक सुधार विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्य रूप से सामाजिक विज्ञान व विधि के लगभग 100 छात्रों ने अपने आलेख प्रस्तुत किए। इन आलेखों में संसदीय व्यवस्था में सुधार, जांच एजेंसियों द्वारा आरोपों की जांच व न्यायालय के निर्णयों में समयबद्ध तेजी लाना, शासन व्यवस्था में सुधार, चुनाव प्रणाली में सुधार आदि पर उपयोगी सुझाव दिए गए थे। उक्त संगोष्ठी में गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी अपने विचार प्रस्तुत किए। संगोष्ठी में हिस्सा लेने वाले सभी प्रतिभागियों की सर्वसम्मत राय थी कि हमारे देश के सभी चुनाव काले धन के सृजन एवं उपयोग के माध्यम बन चुके हैं। यह भी आम राय थी कि हमारे देश के राजनीतिक दल चुनाव प्रणाली में सुधार को लेकर गंभीर नहीं हैं, यदि राजनीतिक दल गंभीर होते तो अब तक चुनाव आयोग वे सुधार लागू कर लिया होता। वक्ताओं का यह भी मत था कि भारत में गैर-सरकारी संगठन एवं सिविल सोसाईटी संगठन जनजागरण अभियान द्वारा लोगों में जागृति लाकर भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में सुधार लाकर अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकते हैं।

उक्त संगोष्ठी में कुछ प्रतिभागियों ने विरोधी दलों द्वारा ईवीएम मशीन के चुनाव में उपयोग के अनावश्यक विरोध किए जाने की भी चर्चा की। सभी प्रतिभागियों की राय थी कि ईवीएम मशीनों और चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया जाना अनुचित है। यह भी कहा गया कि यदि ईवीएम मशीन का दुरुपयोग संभव होता तो गोरखपुर मठ के महंत की परम्परागत सीट पर लोकसभा चुनाव में भाजपा को पराजय का मुंह नहीं देखना पड़ता या तीन राज्यों में कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाती। संगोष्ठी में दिए गए सुझाव यद्यपि बहुत उपयोगी थे, किंतु बहुत कम लेखकों ने सुझावों को वर्तमान परिस्थितियों में लागू किए जाने की संभावनाओं का परीक्षण किया था।

राष्ट्रपति प्रणाली, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, मुख्य दल प्रणाली सभी राजनैतिक प्रणालियों के अपने गुण-दोष हैं। किंतु भारत में किसी भी प्रणाली को अपनाए जाने के लिए संविधान में दोनों सदनों के बहुमत से संशोधन जरूरी है, मुझे नहीं लगता कि अगले पांच साल अर्थात् 2014 तक भी इन प्रणालियों में से किसी एक पक्ष में बहुमत बन सकता है। किंतु यदि सिविल सोसाइटी संगठन अभी से अभियान प्रारंभ करें तो चुनाव में हिस्सा लेने वाले दलों की संख्या सीमित करने के पक्ष में राजनीतिक दलों के बीच में सहमति बन सकती है। वर्तमान में हमारे देश में चुनाव आयोग में पंजीकृत राजनीतिक दलों की संख्या 2293 है। 2014 के चुनाव में 543 लोकसभा चुनाव क्षेत्रों के कुल 5058 प्रत्याशी अर्थात प्रत्येक चुनाव क्षेत्र से औसतन 10 प्रत्याशी मैदान में थे।

केन्द्र में गठबंधन सरकारों का सिलसिला कायम हो चुका है तथा आनेवाले वर्षों में केन्द्र में किसी एक दल की सरकार की संभावना नहीं के बराबर है। राजनीतिक दलों के बीच आम सहमति बनाने से लोकसभा क्षेत्र में उम्मीदवार की संख्या 4 तक सीमित करना संभव दिखता है। वर्तमान में भाजपा नीत राष्ट्रवादी लोकतांत्रिक गठबंधन, कांग्रेसनीत संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, के अलावा मोटे रूप में क्षेत्रीय दलों का महागठबंधन तो दिखाई दे रहे हैं, चौथे गठबंधन के रूप में वामपंथी दल एवं समस्त प्रगतिशील विचारधारा वाले दल मिलकर वामपंथी या प्रगतिशील गठबंधन बना सकते हैं। इस प्रकार हर एक लोकसभा क्षेत्र में प्रत्याशियों की संख्या 4 तक सीमित की जा सकती है। यदि कोई निर्दलीय चुनाव में खड़ा होना चाहता है तो इन्हीं चार दलों में से किसी एक के समर्थन से चुनाव लड़ सकता है। यदि 2024 तक ऐसा संभव होता है तो इसे भी एक बड़ा राजनीतिक सुधार माना जा सकता है। स्थानीय स्तर पर व्यवसायी भी राहत की सांस लेंगे कि अब उन्हें केवल चार उम्मीदवारों को ही चुनावी चंदा देने की नौबत आएगी। उम्मीदवारों की संख्या 4 तक सीमित करने के चुनावी सुधार गैर-सरकारी संगठनों एवं जागरूक बुद्धिजीवियों द्वारा सतत अभियान चलाए जाने पर ही संभव हो सकता है। चुनाव सुधारों से चुनावों में काले धन के उपयोग पर अंकुश लगेगा तथा सरकार द्वारा चुनाव करवाने में भारी-भरकम खर्च में कमी आएगी जिसका उपयोग आर्थिक विकास हेतु किया जा सकता है।

लोकतांत्रिक विधा को जीवन में अंगीकार करें

"शीतला सिंह"

लोकसभा चुनाव में जोर सच पूछिये तो देश के भावी स्वरूप व दिशा पर होना चाहिए। इस पर कि उनमें परिवर्तन होना चाहिए या वे जस की तस रहनी चाहिए

यकीनन, नतीजों में मतदाताओं की इच्छा ही सर्वोपरि होगी। वही परिणामों का निर्धारण भी करेगी। लेकिन नेताओं की हालत यह हो गई है कि उनके शब्दों का परीक्षण इस आधार पर नहीं हो पा रहा कि कहीं जिन्हें वे दोष बता रहे हैं, उसकी जकड़ में स्वयं तो नहीं आते। इसीलिए तो 35 दलों का सहयोग लेकर सरकार चलाने या चुनावी नैया पार लगाने को प्रयासरत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाला गठबंधन दो या तीन विपक्षी दलों के गठबंधन को भी महामिलावट बता रहा है। ठीक है कि देश के लोकतंत्र के लिहाज से राजनीतिक दलों की बढ़ती हुई संख्या रुकनी जरूरी है, लेकिन कोई भी दल यह दावा नहीं कर सकता कि वह विभाजन के दोषों से मुक्त है।

लोकसभा चुनाव में जोर तो सच पूछिये तो देश के भावी स्वरूप व दिशा पर होना चाहिए। इस पर कि उनमें परिवर्तन होना चाहिए या वे जस की तस रहनी चाहिए? इस पर भी कि इस सम्बन्धी विभिन्न दलों व उम्मीदवारों की योजनाएं क्या हैं? लेकिन इसके प्रतिकूल हम देख रहे हैं कि नेताओं में इस बात की प्रतिद्वंद्विता-सी शुरू हो गई है कि प्रतिस्पर्धी को नीच व कमतर कैसे आंका जाये या शब्दों के माध्यम से उसे अपमानित कैसे किया जाये?

इस स्थिति के लिए किसी एक व्यक्ति या दल को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। दु:खद यह है कि जिन्हें देश का भाग्यविधाता मानकर सम्मानित किया जाता है और संवैधानिक पदों पर आसीन होने के कारण जिनसे गम्भीरतापूर्वक दायित्व निर्वहन की उम्मीद की जाती है, उनके मुंह से भी ऐसे-ऐसे शब्द फूट रहे हैं, जिन्हें स्वीकार्य या शोभनीय नहीं माना जाता।

विडम्बना देखिये कि जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत चुनाव में जाति, धर्म, सम्प्रदाय, भाषा व क्षेत्र आदि के प्रयोग की मनाही है। चुनाव के लिए निर्धारित आदर्श आचार संहिता में भी इनका प्रयोग प्रतिबंधित है। फिर भी नेताओं द्वारा इनका सबसे अधिक प्रयोग हो रहा है। इतना ही नहीं, एक दूजे को चोर, बदमाश और लुटेरा तक बताया जा रहा है।

संविधान में व्यक्ति को दिये गये मौलिक अधिकारों में संघ या संगठन बनाने का अधिकार भी शामिल है, लेकिन आज मूल प्रश्न यह है कि इस अधिकार का किन उद्देश्यों और लक्ष्यों के लिए प्रयोग किया जा रहा है? धर्म और सम्प्रदाय के नाम पर विभाजन तो खैर पहले भी होते रहे हैं और कोई भी धर्म या मान्यता इनके दोषों से मुक्त नहीं है। प्राचीन वर्णाश्रम व्यवस्था आज भी चार वर्णों तक ही सीमित है, लेकिन पेशानुगत नहीं रह गई है। उसके विपरीत जाति व्यवस्था पूर्ण रूप से पेशा आधारित है क्योंकि जातियों का निर्धारण ही पेशों के आधार पर हुआ था। इनमें 'वर्ण' शब्द का प्रयोग तो पुरातन ग्रन्थों में पाया जाता है, 'जाति' का नहीं, लेकिन जातियों की संख्या घटने के बजाय बढ़ती ही जा रही है।

जब से संविधान में पिछड़ों व दलितों के लिए आरक्षण की सुविधा का मुख्य आधार जातियां मानी गयीं, उन्हें बनाये रखने का आग्रह भी बढ़ गया है, जिससे आरक्षण का अपेक्षित लाभ लगातार प्राप्त किया जा सके। ऐसे में ज्ञान-विज्ञान और नई तकनीकें भी उनके उन्मूलन में सहायक नहीं हो पा रही। दूसरी ओर यही कारण है कि 'ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण:' की कसौटी बेकार हो गई है और जिसे अक्षर ज्ञान तक नहीं है, वह भी ब्राह्मण जाति में शामिल है। इसी तरह कोई 'क्षतात त्रयते इति क्षत्रिय:' की कसौटी से गुजरकर क्षत्रिय जाति का नहीं होता।

राजनीतिक दलों का गठन मुख्य रूप से स्वार्थों पर आधारित होता है, लेकिन ये स्वार्थ सीमित नहीं है और उन्हें संयोजित करके लाभ उठाने की प्रवृत्तियां भी विद्यमान हैं। इसी तरह वृत्ति, व्यवसाय व आजीविका के क्षेत्र भी सीमित नहीं रह गये हैं। ऐसे में सवाल है कि जिनके लिए गुणों, मर्यादाओं और पात्रताओं को आवश्यक माना गया है, उनसे मुक्त लोगों को किस श्रेणी में गिना जाये?

बहरहाल, अब विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं का परीक्षण करते हुए हम लोकतंत्र पर वृहत्तर सहमति की ओर बढ़ चले हैं तो अप्रत्यक्ष चुनावों के लिए चुनाव प्रणाली में एकल संक्रमणीय चुनाव पद्धति को अंगीकार कर रखा है। राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति जैसे पदों के साथ राज्यसभा व विधान परिषदों समेत कई संस्थाओं के पदाधिकारियों के चुनाव के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन लोकसभा और विधानसभाओं के चुनावों में हमने इसके बजाय बड़ी ढेरी के सिद्धान्त को स्वीकार करके बहुमत के निर्धारण की मूल भावना को ही नकार दिया है। इसके चलते ऐसे प्रत्याशी भी निर्वाचित घोषित हो जाते हैं जो अपनी जमानत भी नहीं बचा पाते। यह व्यवस्था भी जाति, धर्म व सम्प्रदाय आदि को बढ़ाने और बनाये रखने में सहायक हो रही है। क्योंकि इनके बल पर मतों का बंटवारा करने वाली प्रवृत्ति को बढ़ाकर लाभ उठाया जा सकता है। यह लोकतंत्र की मूल भावनाओं के अनुरूप नहीं है।

सवाल यह भी है कि हमने लोकतांत्रिक आचार की निर्धारित मर्यादाओं को अपने जीवन में कितना धारण किया है? चूंकि इस सवाल का जवाब हमेशा सकारात्मक नहीं होता, होना आवश्यक भी नहीं माना जाता, इसीलिए चाहे प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री अथवा कोई अन्य बड़ा संवैधानिक पदाधिकारी, उसको संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ दिलाई जाती है। फिर भी वह व्यवहार में संवैधानिक निर्देशों को स्वीकार न करके अवसर का लाभ उठाने के प्रति समर्पित हो जाये तो इसे किस रूप में देखा जाये? संवैधानिक पदों पर आसीन लोगों को भी आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के लिए दण्ड दिये जाने की नौबत हो तो यही मानना पड़ेगा कि वे संविधान में निष्ठा की अपनी शपथ को वैयक्तिक जीवन में नकारने पर उतारू हैं। पूछा जाना चाहिए कि क्या इस दोष के लिए उन्हें किसी तरह का कोई दण्ड दिये जाने की व्यवस्था है?

जब वे चुनाव प्रचार में अपने सर्वजेता होने का दावा करते हैं तो जिन उदाहरणों तथा कथनों का प्रयोग करते हैं तो क्या इसका ध्यान रखते हैं कि वे सत्य हैं या नहीं? क्या प्रतिस्पर्धी को नीचा दिखाने के लिए झूठ का उपयोग उचित कहा जा सकता है? संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों से तो यह आशा करनी ही चाहिए कि वे भविष्यद्रष्टा के बजाय भविष्यवक्ता बनकर अनावश्यक रूप से ऐसी भविष्यवाणियां न करें जो व्यावहारिक तथा सम्भव नहीं हैं।

अगर चुनाव देश की व्यवस्था के लिए पवित्र कार्य है तो इनसे यह भी पूछना ही होगा कि उन्होंने अपने जीवन में उसे किस रूप में धारण किया है? साथ ही यह भी कि लोकतांत्रिक परम्पराओं पर उनके अमल, निर्धारण और नियमन की क्या स्थिति है? अभी एक उदाहरण आया है कि एक बड़े दल ने अपने 102 निर्वाचित सदस्यों का टिकट काट दिया। यह उसके अधिकारों में भी आता है। लेकिन क्या इससे उसके इस दावे पर मोहर लगती है कि उसकी स्वीकार्यता 'उस पार तक पहुंच गयी है'? यदि ऐसा होता तो उसे ऐसी टिकट कटौती को अनिवार्य मानकर अपनाने की आवश्यकता न पड़ती। लेकिन जब सत्तादल लोकतंत्र को अंगीकार करने के बजाय उसके उल्लंघन पर ही आमादा होंगे तो उनसे किसी अनुकूल स्थिति की आशा कैसे की जा सकती है? उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अधिकतम् व्यय सीमा की नजर बचाने के लिए पार्टी और मित्रों के खर्चे उसमें शामिल न किये जाने के प्रावधान का जमकर लाभ उठाना और संवैधानिक पदों तक पर आसीन लोगों द्वारा जाति, धर्म व समुदाय के नारे देना इसी का संकेत है।

''देशबन्धु से साभार''

पं.सुखराम ने मंडी क्षेत्र को किया नजरअंदाज:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने कहा कि पं. सुखराम के रिश्तेदार व समर्थक जो दिल्ली में हैं वे लोकसभा चुनावों में आश्रय शर्मा को जीतने के लिए मतदाताओं को खरीदने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन मंडीवासी बिकने वालों में से नहीं हैं। मुख्यमंत्री जिला मंडी के बल्ह विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत लेदा में जनसभा को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि मंडी हिमाचल का महत्वपूर्ण क्षेत्र है परन्तु यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि पं. सुखराम ने मंडी क्षेत्र को नजरअंदाज किया तथा उन्होंने जनता की भावनाओं को अनदेखा करते हुए केवल अपने परिवार के बारे में ही सोचा।

उन्होंने कहा कि भाजपा को प्रदेशभर में जनता का भारी समर्थन मिल रहा है। इससे तय है कि लोकसभा की चारों सीटों पर इस बार भी ''कमल'' प्रचंड बहुमत से खिलेगा।

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार ने देशवासियों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू की हैं जिससे करोड़ों परिवार लाभान्वित हो रहे हैं।

उन्होंने कहा कि इससे पहले केंद्र में कांग्रेस सरकार थी, लेकिन वह देश का विकास नहीं कर पाई। ऐसे में अब जनता ने नरेंद्र मोदी को पुन: प्रधानमंत्री बनाने का मन बना लिया है।

उन्होंने कहा कि देश कांग्रेस मुक्त हो रहा है और भाजपा भारी मतों से जीत हासिल करेगी। मुख्यमंत्री ने स्थानीय जनता से मंडी संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी रामस्वरूप शर्मा को वोट देने की अपील भी की। इस अवसर पर सिचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री एवं स्थानीय विधायक महेंद्र सिह ठाकुर भाजपा नेतागण व अन्य उपस्थित रहे।

व्यय पर्यवेक्षक निष्ठा और लगन से करें अपने दायित्वों का निर्वहन

शिमला/शैल। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त व्यय पर्यवेक्षक नरेश कुमार बंसल ने बरोटीवाला में निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों और सहायक चुनाव व्यय पर्यवेक्षकों की बैठक ली। बैठक की अध्यक्षता करते हुए व्यय पर्यवेक्षक ने कहा कि लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया के दौरान वाहनों की चेकिंग के दौरान वीडियोग्राफी हर हाल में सुनिश्चित की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि वाहनों की चेकिंग भारत निर्वाचन आयोग द्वारा तय दिशा निर्देशों के अनुरूप पूरी की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि विशेष तौर से वाहनों की तलाशी के दौरान मर्यादा और शालीनता का पूरा ध्यान रखा जाए।

नरेश कुमार बंसल ने कहा कि लोकसभा चुनाव भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक महापर्व है। चुनाव प्रक्रिया को संपन्न कराने में नियुक्त सभी अधिकारी और कर्मचारी पूरी निष्ठा और लगन के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें ताकि लोकसभा की चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्ण, स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके के साथ संपन्न करवाई जा सके।

उन्होंने यह भी कहा कि स्टेटिक सर्विलांस टीमों और फ्लाइंग स्क्वायड टीमों का बहुत बड़ा महत्व रहता है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि स्टेटिक सर्विलांस टीमों की लोकेशन में बदलाव किए जाने चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि स्टेटिक सर्विलांस टीम कौन से लोकेशन पर तैनात रहेगी यह संबंधित सहायक निर्वाचन अधिकारियों के निर्देश पर हो और इसकी पूरी जानकारी सहायक चुनाव व्यय पर्यवेक्षकों को भी रहनी चाहिए कि टीम इस समय कौन सी जगह पर होगी।

व्यय पर्यवेक्षक ने ये भी निर्देश दिए कि सहायक निर्वाचन अधिकारी जब भी कोई अनुमति देते हैं तो उसकी प्रति तुरंत सहायक चुनाव व्यय पर्यवेक्षक को भी भेजी जाए ताकि उसी के अनुरूप शैडो रजिस्टर को मेंटेन करने का काम पूरा किया जा सके। उन्होंने बताया कि किसी भी शिकायत पर कार्यवाही के दौरान निश्चित की गई प्रक्रिया के तहत ही कदम उठाए जाएं।

कांगड़ा में आयोजित होगी महिला चुनाव पाठशाला

धर्मशाला/शैल। स्वीप के तहत कांगड़ा जिला में महिला चुनाव पाठशाला अभियान आरंभ किया जाएगा, इस अभियान के तहत 29 अप्रैल को प्रत्येक विकास खंड में तीन तीन कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे इन कार्यक्रमों में नए महिला मतदाता, महिला मंडल, स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को मतदान के महत्व के बारे में जानकारी दी जाएगी।

यह जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी डीसी कांगड़ा संदीप कुमार ने देते हुए बताया कि महिला चुनाव पाठशाला कार्यक्रम में एसडीएम, बीडीओ तथा सीडीपीओ को कार्यक्रम में विशेष तौर पर उपस्थित रहना होगा। इस चुनाव पाठशाला में महिला मतदाताओं को वीवीपैट तथा ईवीएम से मतदान प्रक्रिया के बारे में भी विस्तार से जानकारी प्रदान की जाएगी।

उपायुक्त संदीप कुमार ने कहा कि लोकसभा निर्वाचन 2019 लोकतंत्र का महात्यौहार है इसमें सभी पात्र मतदाताओं की सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी ताकि शतप्रतिशत मतदान हो सके और इसी दिशा में महिला मतदाताओं को जागरूक करने के लिए जिला कांगड़ा में पहल की गई है। उन्होंने कहा कि इससे पहले छूटे हुए मतदाताओं के वोटर आईडी कार्ड बनाने का अभियान भी जिला में आरंभ किया गया जिसके सार्थक नतीजे सामने आए हैं।

उन्होंने कहा कि स्वीप के माध्यम से युवा मतदाताओं को भी मतदान के लिए जागरूक किया गया है इसके अलावा मतदाता जागरूकता के लिए मैराथन, खेलकूद प्रतियोगिताएं इत्यादि भी आयोजित की गई हैं। उन्होंने कहा कि दिव्यांग मतदाताओं को जागरूक करने के लिए बाइक रैली भी आयोजित की गई है। उन्होंने कहा कि दिव्यांगों को मतदान के लिए बूथ केंद्रों तक ले जाने के लिए चुनाव आयोग के माध्यम से वाहन की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाएगी। यह जानकारी देते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी डीसी संदीप कुमार ने बताया कि चुनाव आयोग द्वारा इस बार सुगम मतदान का थीम निर्धारित किया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान कर सकें।

उन्होंने कहा कि बूथ केंद्रों तक वाहन की सुविधा प्राप्त करने के लिए दिव्यांग अपने बूथ मतदान केंद्र अधिकारियों या सहायक निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं इसके साथ ही व्हील चेयर के लिए भी ऐप के माध्यम से सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

भाजपा ने नामांकन के समय दिखाई एकजुटता

शिमला/शैल। भारतीय जनता पार्टी के चारों प्रत्याशियों ने लोकसभा चुनावों के लिए अपना नामांकन पत्र भर दिया है। जबकि कांग्रेस उम्मीदवारों के नामांकन के समय नेताओं की कलह मंच पर आ गई। 24 अप्रैल 2019 को मंडी से भाजपा प्रत्याशी रामस्वरूप द्वारा भरे गए नामांकन के बाद 25 अप्रैल को शिमला संसदीय क्षेत्र से सुरेश कश्यप तथा गत 26 अप्रैल 2019 को हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से अनुराग ठाकुर और कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से किशन कपूर ने धर्मशाला में नामांकन पत्र भरा। यह जानकारी भाजपा के प्रदेश महामंत्री व चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष चंद्रमोहन ठाकुर ने सोलन से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में दी।

उन्होंने कहा कि भाजपा चारों लोकसभा प्रत्याशियों द्वारा भरेंगे नामांकन के समय जो उत्साह व जोश लोगों में देखा गया, ऐसा लगता था जैसे नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया न होकर प्रदेशवासी जीत का जश्न मना रहे हो। यह जनसैलाब बताता है कि प्रदेश की जनता केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में फिर से एक बार भाजपा सरकार बनाना चाहती है।

उन्होंने कहा कि दूसरी और कांग्रेस के प्रत्याशियों के नामांकन भरे जाने के समय लोगों का इकटठा न होना और पार्टी कार्यकर्ताओं की गुटबाजी चरम पर नजर आना, कांग्रेस पार्टी के नामांकन पत्र भरे जाने के समय कार्यकर्ताओं में आपसी हाथापाई, नारेबाजी और अपने वरिष्ठ नेताओं का अपमान करना, कांग्रेस नेताओं का जनसभा में मंच छोड़ कर चले जाना, प्रदेशवासियों को नागवार लगा। इससे पता चलता है कि कांग्रेस का संगठन पूरी तरह से खत्म हो चुका है।

कांग्रेस द्वारा अपने प्रत्याशियों के नामांकन भरे जाने के समय एक जुटता नजर न आना शिमला, काँगड़ा, मंडी और हमीरपुर में स्पष्ट नजर आया। कांग्रेस प्रत्याशी द्वारा भरे गये नामांकन के समय नाममात्र कार्यकर्ताओं का उपस्थित रहना और अपने प्रत्याशी पर विशवास न करना। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से अपने प्रत्याशी को एक वरिष्ट नेतों द्वारा यह कहना की यह कैसा प्रत्याशी कभी खुश तो कभी नाराज रहता है। मंडी से कांग्रेस प्रत्याशी अपने दादा के साथ घडयाली आंसू बहाना काँगड़ा के प्रत्याशी के नामांकन के समय बड़े नेता का उपस्थित न रहना कांग्रेस की अंतरकलह को दिखाता है।

महामंत्री ने कहा कि दूसरी और इसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी के चारों प्रत्याशियों के नामांकन भरे जाने के समय भाजपा के सभी बड़े नेताओं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल सांसद शांता कुमार तथा अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती का उपस्थित रहना भाजपा की एकजुटता दर्शाता है। उन्होंने कहा कि भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता चुनाव प्रचार में पूरी ईमानदारी और कड़ी मेहनत के साथ निष्ठा पूर्वक कार्य कर रहा है जो भाजपा के लिए शुभ संकेत है उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनावों में देशभर में कमल खिलने जा रहा है और देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पुन: बनेगी ।

अधिक मतदान के लिए रैली द्वारा मतदाताओं को किया जागरूक

शिमला/शैल। 2019 भारत निर्वाचन आयोग के दिशानिर्देशों के तहत निर्वाचक प्रक्रिया में लोगों की सहभागिता बढ़ाने व अधिक से अधिक मतदान के उद्देश्य से शिमला लोक सभा क्षेत्र के कसुम्पटी निर्वाचन क्षेत्र (खंड) में अध्यापकों एवं विद्यार्थियों

के माध्यम से जन जागरूकता अभियान के माध्यम द्वारा लोगों को अधिक से अधिक मतदान के लिए जागरूक किया जा रहा है।

इस कडी मे सरस्वती विद्या मन्दिर, कमलानगर, हॉली- हेवन पब्लिक स्कूल, भट्टाकुफर, सिटी पब्लिक स्कूल, भट्टाकुफर, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला,जुन्गा, राजकीय उच्च पाठशाला, भडेच, पैराडाईज पब्लिक स्कूल, सन्जौली, अलख प्रकाश गोयल, विश्वविद्यालय, ब्योलिया, में सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचक सहभागिता (स्वीप) के नोडल अधिकारी दिलीप वर्मा और तारा चन्द ठाकुर ने अध्यापकों एवं विद्यार्थियों को सम्बोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक नागरिक को अपने मत देने के अधिकार को समझना चाहिए। मतदाता लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी होते है। उन्होने प्रजातंत्र के मूल्यों को विकसित करने की जरुरतों पर प्रकाश डाला व कहा कि लोकतंत्र वास्तव में अधिकाधिक मतदान से ही मजबूत और समृद्ध होता है।

इस अवसर पर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला,भट्टाकुफर, से सन्जौली टनल, लोअर सिमीट्री, अप्पर सिमीट्री से एक विशाल रैली का आयोजन भी किया गया। जिसको सहायक निर्वाचन अधिकारी व सब डिवीजनल दंडाधिकारी (शिमला ग्रामीण) नीरज गुप्ता द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिसमें सात शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों व अध्यापकों ने भाग लिया गया। इस अवसर पर विद्यार्थियों, बर्जुर्गों ,युवाओं और महिलाओं को चुनाव में बढ़-चढ़ भाग लेने के लिय प्रेरित किया गया। इस अवसर पर सम्बन्धित पाठशालाओं के प्रधानाचार्यों के अतिरिक्त मतदान कोष्ठ स्तर अधिकारी के पर्यवेक्षक ओमप्रकाश, बूथ स्तर के अधिकारी व विद्यालय में निर्वाचन साक्षरता क्लब (इलेक्ट्रोरल लिटरेसी क्लब) के नोडल अधिकारी, प्रध्यापक, अध्यापक उपस्थित थे।

कसौली के सहायक निर्वाचन अधिकारी की सौ वर्षीय मतदाता जगमोहन से भेंट

सोलन/शैल। लोकसभा चुनाव 2019 में मतदाताओं की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 54-कसौली विधानसभा क्षेत्र के सहायक रिटरनिंग अधिकारी सहायक आयुक्त प्रोटोकॉल परवाणु डॉ. विक्रम सिंह ने बताया कि 54-कसौली विधानसभा क्षेत्र के अर्न्तगत 100 साल से अधिक की आयु के मतदाताओं से

मिलकर लोगों को अधिक से अधिक वोट डालने के लिए जागरूक करने का अभियान कार्यान्वित किया गया है। उन्होंने बताया कि कसौली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत हेमराम, लक्ष्मी नंद तथा गुरदास सौ वर्ष से ऊपर के मतदाता हैं। इस कड़ी में 37 धार-की-बेड़-1 मतदान केन्द्र में पंजीकृत सौ साल से अधिक की आयु के मतदाता जगमोहन से भेंट की गई। इस दौरान जगमोहन से चुनाव से संबंधित उनके अनुभव सांझा किए गए। जगमोहन ने कहा कि उन्होंने आजतक के सभी चुनावों में भाग लिया है और लोकसभा चुनाव-2019 में भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए वे दृढ़संकल्प हैं।

उन्होंने कहा की सभी मतदाताओं को चाहे वो वृद्ध हो या युवा, पुरूष हो या स्त्री सभी को अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए और देश कि समृद्धि व खुशहाली के लिए योग्य उम्मीदवार का चुनाव करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आगामी 19 मई को होने वाले लोकसभा चुनावों मे आप सभी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें वोट डालना हमारा राष्ट्रीय पर्व जैसा त्यौहार है। इसमें एक एक व्यक्ति की भागीदारी महत्वपूर्ण होती है।

डॉ. विक्रम सिंह जगमोहन को सम्मानित भी किया गया। 54-कसौली विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदाताओं से सहायक रिटरनिंग अधिकारी ने भी आग्रह किया कि सभी को अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए।

इस अवसर पर स्वीप के सी.पुंडीर नोडल अधिकारी, बीएलओ, निर्वाचन कानूनगो ललित कुमार भी मौजूद थे।

अनुराग ठाकुर के नामांकन में प्रदेश भाजपा के शीर्ष नेता शामिल

हमीरपुर/शैल। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भाजपा प्रत्याशी एवं सांसद अनुराग ठाकुर के नामांकन दाखिल करने के उपरांत गांधी चौक में एक विशाल जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में कांग्रेस के पास न तो नेता है और न ही नेतृत्व है। हमने मात्र 15 मिनट में ही चारों संसदीय सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी थी जबकि कांग्रेस में देरी से 3 किस्तों में टिकटें बांटी गई। प्रदेश में कांग्रेस का कोई भी नेता चुनाव लड़ने के मूड में नहीं था। जबरन एक दूसरे नेता को धकेलने की परंपरा चलती रही। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा प्रत्याशियों की घोषणा होते ही कांग्रेस ने आवेदकों की लिस्ट भी बदल डाली। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के प्रतिपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री द्वारा दिए गए मीडिया के ब्यानों पर पलटवार करते हुए कहा कि मैं मंडी संसदीय क्षेत्र तक नहीं, प्रदेश की चारों संसदीय क्षेत्रों का दौरा किया और 35 चुनावी जनसभाएं संबोधित कर चुका हूं, टिप्पणियां करने वाले अपने क्षेत्र से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। देश में माहौल पहले राहुल गांधी ने खराब किया और बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की जनता का उत्साह देखकर ऐसा लग रहा है कि नामपत्र का नहीं जीत का उत्साह हो, इस उत्साह को बनाए रखें, जीत नजर आ रही है। लग रहा है कि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की जनता अपने प्रत्याशी को एक बार फिर चौका लगाने में पूरी तैयार बैठी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार के चुनाव परिणाम में मोदी की सरकार फिर बनकर सामने आएगी। कांग्रेस पिछले 55 सालों से गांधी परिवार से बाहर नहीं निकल पाई है। जयराम ने देश में गठबंधन और महागठबंधन को तेल और पानी की संज्ञा दी। परिणाम ऐसा रहेगा कि न तेल निकलेगा न पानी निकलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस नेताओं को लोकसभा चुनाव में अपनी हार साफ नजर आ रही है, इसलिए बौखलाहट में अनाप शनाप ब्यानबाजी कर रहे हैं। भाजपा ने नारा दिया है कि अबकी बार 400 पार और प्रदेश में चार की चार।

इस अवसर पर मंत्री महेंद्र सिंह, वीरेंद्र कंवर, विक्रम ठाकुर, विधायक नरेंद्र ठाकुर, कमलेश कुमारी, सुभाष

शर्मा, राजेंद्र गर्ग ने भी जनसभा को संबोधित किया। इस अवसर पर भाजपा के वरिष्ठ नेता भी उपस्थित थे।

इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री एवं सांसद शांता कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि पिछले दिनों जब सुरेश चंदेल भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए तब उन्हें बहुत दुख हुआ था। जब सुरेश चंदेल यह कह रहे थे कि यदि भाजपा मुझसे कोई वायदा करे और मुझे कोई ओहदा दे तो मैं भाजपा में ही रहूं या फिर कांग्रेस मुझे टिकट दे या कोई कमिटमेंट करें तो मैं कांग्रेस में जाऊं, यह देख कर मुझे बहुत दुख हो रहा था और मुझे उन हजारों कार्यकर्ताओं की याद आ रही थी जो पार्टी के लिए जेलों में रहे, जिन्होंने अपना पूरा जीवन पार्टी के लिए दे दिया और कुछ नहीं मांगा और उन्हें कुछ मिला भी नहीं। और यह जो हजारों कार्यकर्ता यहां बैठे हैं यह भी तो पार्टी का काम कर रहे हैं, सुरेश चंदेल जी को तीन बार एमपी बनाया तो इन्हीं कार्यकर्ताओं ने बनाया है क्या उन्होंने इनके बारे में सोचा, नहीं उन्होंने सिर्फ अपने बारे में सोचा।

अनुराग ठाकुर ने जो संसदीय क्षेत्र में विकास करवाए उनकी सराहना की।

प्रदेश भाजपा के लोकसभा चुनाव प्रभारी तीर्थ सिंह रावत ने संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने देश को नई ऊंचाईयों तक पहुंचाया है, जबकि केंद्र में कई दशकों तक कांग्रेस रही, लेकिन देश का विकास करने में असफल रहे। अब जनता भी यह महसूस करने लगी है कि देश को विकास में गति प्रदान करने वाली भाजपा सरकार पुनः बागडोर संभालने की हकदार है। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर वार करते हुए कहा कि राहुल गांधी पार्टी का नेतृत्व करने में फेल हुए तो अब प्रियंका का सहारा ले लिया। इस बार के चुनाव में देश कांग्रेस मुक्त तो होगा ही, साथ ही गांधी परिवार कांग्रेस मुक्त हो जाएगा। रावत ने कहा कि अनुराग ठाकुर ने अपने कार्यकाल में अपने संसदीय क्षेत्र में विकास करवाने में कोई कमी नहीं छोड़ी है।

पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 साल में काम कर दिखाया है। उन्होंने कांग्रेस पर जमकर प्रहार किए और जुबानी हमले बोलते हुए कहा कि देश में कांग्रेस ने दशकों तक राज किया लेकिन विकास के नाम पर कुछ भी नहीं किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 साल में वो काम कर दिखाया जो कांग्रेस नहीं कर पाई। धूमल ने कहा कि आज देश में हो रहे लोकसभा चुनावों के परिणाम पर पूरी दुनिया की नजर है। सभी राष्ट्र यह सोच रहे हैं कि भारत का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा? उन्होंने कहा कि आतंकवादी देश पाकिस्तान को उसकी जमीन पर जाकर जबाव देने वाले नरेंद्र मोदी को ही फिर से नेतृत्व मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि अनुराग ठाकुर ने जो हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में प्रोजेक्ट लाए एवं मोदी सरकार से हिमाचल के विकास में गति प्रदान करवाई, वह किसी से छुपा नहीं है और इस बार यह युवा नेता चुनावी पिच पर जीत का चौका जरूर लगाएगा। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि अपना जोश 19 मई तक बनाए रखें।

प्रदेश भाजपाध्यक्ष सतपाल सत्ती ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने एक वर्ष के कार्यकाल में विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं एवं जब से केंद्र व प्रदेश में भाजपा की सरकारें बनी तो विकास को गति मिली एवं रूके हुए कार्य युद्धस्तर पर शुरू किए गए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा बिना किसी शंका के प्रदेश की चारों सीटों पर कमल खिलाने जा रही है और इस बार विशेष यह होगा कि जीत का आंकड़ा पहले से और अधिक हो जाएगा। इससे जहां प्रदेश में चारों सांसद रिकार्डतोड़ मतों से जीतेंगे वहीं केंद्र में नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनकर देश की बागडोर संभालेंगे। भाजपाध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के पास भाजपा नेताओं के खिलाफ बोलने को मुद्दे नहीं हैं और घटिया स्तर की राजनीति पर उतर आए हैं।

वीरभद्र सिंह ने कहा हमीरपुर के कांग्रेसियों को कचरा:प्रवीण शर्मा

शिमला/शैल। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष एवं चुनाव प्रभारी प्रवीन शर्मा ने कांग्रेस की नामांकन रैली पर चुटकी लेते हुए कहा कि वीरभद्र सिंह ने हमीरपुर के कांग्रेसियों को कचरा कहा है।

हमीरपुर के गांधी चौक में हुई कांग्रेस की नामांकन रैली में जब वीरभद्र सिंह भाषण दे रहे थे तो उन्होंने कहा था के कांग्रेस से कचरा साफ हो गया यह बहुत अच्छी बात है। यही नहीं कांग्रेस के प्रत्याशी रामलाल ठाकुर से नाराजगी होने की बात भी उन्होंने मंच से स्वीकारी है जो स्पष्ट रूप से कांग्रेस की अंतर कलह एवं गुटबाजी को प्रदर्शित करती है। प्रवीन शर्मा ने कहा कि चुनावों के समय कांग्रेस को धर्म याद आ जाता है। राहुल गांधी अपना गोत्र साबित करने में लगे हुए हैं। तो जिस कांग्रेस पार्टी के नेता गौ हत्या को अधर्म नहीं मानते वह लोकसभा चुनाव को धर्म युद्ध का नाम देखकर लोगों को बेवकूफ बनाना चाहते हैं। लोग भूले नहीं हैं कि यह वही कांग्रेस पार्टी है जिस ने अदालत में हलफनामा देकर कहा था कि भगवान राम वास्तविकता नहीं काल्पनिक है।

प्रवीन शर्मा ने तंज कसते हुए कहा की वीरभद्र सिंह हमीरपुर में रामलाल ठाकुर की नामांकन रैली में आए थे या फिर मुकेश अग्निहोत्री को हमीरपुर की जनता से मिलवाने लाए थे। क्योंकि मंच पर भाषण देते वक्त वीरभद्र सिंह ने मुकेश अग्निहोत्री की पीठ पर हाथ रखते हुए उनकी तारीफ की। रामलाल ठाकुर के चुनाव प्रचार की बात आई तो वीरभद्र सिंह ने कहा कि कोई मूर्ख ही होगा जो इन बातों को दोहराएगा। प्रवीन शर्मा ने दावा किया कि कांग्रेस को भी इस बात की पूरी पुख्ता जानकारी हो चुकी है कि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में अनुराग ठाकुर की जीत तय है यही कारण है कि कांग्रेस के अनुभवी एवं वरिष्ठ नेता भी कांग्रेस प्रत्याशी के लिए कुछ ना बोल पाए।

भट्टू में नाके के दौरान 12 लाख की राशि जब्त

शिमला/शैल। लोकसभा निर्वाचन-2019 के दृष्टिगत गठित निगरानी टीम ने सुलह विधानसभा क्षेत्र के भट्टू में नाके के दौरान एक वाहन से 12 लाख की नगदी बरामद की है। यह जानकारी देते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी डीसी संदीप कुमार ने बताया कि सुलह विस क्षेत्र में बाथू में निगरानी दल ने पंजाब नंबर की एक कार की चेकिंग के दौरान बारह लाख रूपये की राशि रखी हुई थी, कार मालिक इसके वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका जिसके चलते राशि जब्त कर ली गई है।

उन्होंने बताया कि लोकसभा निर्वाचन-2019 के तहत जिला के विभिन्न क्षेत्रों में निगरानी टीमें तैनात की गई हैं तथा इस दौरान वाहनों की चेकिंग भी की जा रही है ताकि चुनाव आयोग के दिशा निर्देशानुसार आदर्श आचार संहिता की अनुपालना की जा सके।

उन्होंने आम जनमानस से भी आग्रह करते हुए कहा कि आदर्श आचार संहिता के दौरान पचास हजार से अधिक कैश, गहने जेवर इत्यादि साथ लेकर नहीं चलें तथा अन्य स्थितियों में कैश के वैध दस्तावेज साथ रखें। उन्होंने कहा कि बैंकों से भी प्रत्येक दिन के लेनदेन की रिपोर्ट प्राप्त की जा रही है।

उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के दिशा निर्देशानुसार चुनाव प्रक्रिया के दौरान राजनीतिक दलों तथा प्रत्याशियों द्वारा प्रचार के खर्चे का सही तौर आकलन सुनिश्चित किया जा रहा है तथा इसे शैडो रजिस्टर में दर्शाया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया पूर्ण करना सबका दायित्व है। उन्होंने कहा कि मतदाताओं को डराना, धमकाना तथा रिश्वत, शराब व अन्य किसी भी प्रकार का प्रलोभन देना एक दंडनीय अपराध है तथा ऐसे सभी मामलों जिसमें चुनावी प्रक्रिया पर खर्चे का अदेंशा हो उस पर निगरानी के लिए उचित कदम उठाने का प्रावधान किया गया है।

महिला तथा दिव्यांग पोलिंग स्टाफ ने किया चुनाव पूर्वाभ्यास प्रशिक्षण

हमीरपुर/शैल। सामान्य लोक सभा निर्वाचन, 2019 को सुचारू रूप से सम्पन्न करवाने के उददेश्य से 38-हमीरपुर-विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत महिला तथा दिव्यांग मतदान अधिकारियों को विकास खंड कार्यालय हमीरपुर के पंचायत समिति हाल में सामान्य चुनाव प्रक्रिया को लेकर पूर्वाभ्यास प्रशिक्षण प्रदान किया गया जिसमें 30 से अधिक पीठासीन अधिकारियों, सहायक पीठासीन अधिकारियों तथा मतदान अधिकारियों ने भाग लिया। मास्टर ट्रेनर विजय चौहान ने मतदान अधिकारियों को सामान्य चुनाव प्रक्रिया की विस्तार से जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि मतदान अधिकारियों को ईवीएम तथा वीवीपैट के संचालन बारे जानकारी प्रदान की जाएगी। इसी प्रकार 2 मई को चुनाव प्रक्रिया से जुड़े विभिन्न फार्मों के भरने का अभ्यास करवाने के साथ 13 मई को चुनाव प्रक्रिया की संपूर्ण प्रणाली से चुनाव ड्यूटी में तैनात अधिकारियों को पूर्वाभ्यास प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र के तहत राजकीय (बाल) वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला हमीरपुर में दो ऐसे मतदान केन्द्र स्थापित किए गए हैं जहां पर महिला पोलिंग स्टाफ ही मतदान की प्रक्रिया को सम्पन्न करवाएगा। इसी प्रकार दिव्यांग जनों के लिए जिला में केवल एक मतदान केन्द्र राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला (बालिका) हमीरपुर में स्थापित किया गया है जहां पर दिव्यांग मतदान स्टाफ ही मतदान की प्रक्रिया को सम्पन्न करवाएगा। इस अवसर पर निर्वाचन कानूनगो किशोर ठाकुर भी उपस्थित थे।

केलंग में अधिकारियों को ई.वी.एम.तथा वी.वी.पैट.की ट्रेनिंग

शिमला/शैल। लोकसभा चुनाव के सफलापूर्वक संचालन के लिए केलंग में पीठासीन अधिकारियों को ई.वी.एम. तथा वी.वी.पैट. के प्रयोग बारे पूर्वाभ्यास करवाया गया। लाहौल के सभी 63 मतदान केंद्रों के लिए नियुक्त लगभग 94 पीठासीन अधिकारियों ने भाग लिया। सहायक निर्वाचन अधिकारी, अमर नेगी ने बताया कि पीठासीन अधिकारियों को लिए विशेष पूर्वाभ्यास आयोजित किया गया, जिसमें सभी को हैंड्जऑन ट्रेनिंग दी गई। ताकि उन्हें मतदान के दिन ई.वी.एम. तथा वी.वी. पैट. मशीन में किसी समस्या का सामना न करना पड़े। उन्होंने बताया कि पीठासीन अधिकारी खुद मशीनों में आने वाली समस्याओं को दूर करने में सक्षम हो सकें तथा अपने स्तर पर ही तारे इत्यादि जोड़ सकें तथा उन्हें चुनाव से सम्बन्धित दस्तावेजों का भरने इत्यादि की भी जानकारी दी गई।

अमर नेगी ने बताया कि पीठासीन अधिकारियों को पूर्वाभ्यास में मतदान से पहले मॉक-पोल करना, कंन्ट्रोल युनिट तथा वी.वी.पैट. को सील करना तथा उन्हें एक दूसरे के तारों के माध्यम से जोड़ने बारे विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। सभी पीठासीन अधिकारियों ने ई.वी.एम. व वी.वी.पैट. का स्वयं प्रयोगात्मक संचालन भी किया। इस अवसर पर सहायक निर्वाचन अधिकारी उदयपुर सुभाष गौतम, तहसीलदार निर्वाचन दोरजे ठाकुर तथा संवेदनशील मतदान केंद्रों पर नियुक्त सूक्ष्म पर्यवेक्षक भी उपस्थित थे।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

www.shailsamachar.co.in

क्या अदानी का 280 करोड़ लौटाने के लिये जयराम सरकार दबाव में है

शिमला/शैल। हिमाचल सरकार ने 960 मैगावाट की जंगी थोपन पवारी जल विद्युत परियोजना के लिये वर्ष 2006 में निविदायें आमन्त्रित की थी। यह निविदायें आने के बाद यह परियोजना नीदरलैण्ड की कंपनी एनवी ब्रेकल को आबंटित कर दी गयी थी। लेकिन ब्रेकल इसमें तय समय के भीतर 280 करोड़ के अपफ्रंट प्रिमियम की रकम अदा नही कर पायी। इसके लिये कई बार समय की मोहलत लेने के बावजूद भी जब यह रकम जमा नही करवायी गयी तब इस पर रिलॉन्यस इन्फ्रा ने ऐतराज उठाया क्योंकि वह निविदा में दूसरे स्थान पर था। इसको लेकर उच्च न्यायालय से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक मामला जा चुका है। जब ब्रेकल यह रकम जमा नही करवा पाया था तब उसके खिलाफ आपराधिक मामला तक दर्ज हुआ था। इस मामले की जांच में यह सामने आया कि इसमें ब्रेकल ने गलत ब्यानी की है। जिसे अधिकारियों/नेताओं ने नजरअन्दाज कर दिया है।इस नजरअन्दाज़गी के लिये संबंधित लोगों को जेल तक भेजा जा सकता था लेकिन ऐसा हुआ नही उल्टा ब्रेकल की ओर से यह 280 करोड़ अदानी पावर ने जमा करवा दिये। जबकि सरकार ब्रेकल को यह आबंटन रद्द करने का नोटिस तक दे चुकी थी।

अदानी पावर के माध्यम से ब्रेकल द्वारा यह 280 करोड़ जमा करवाने को लेकर रिलॉयंस ने फिर अदालत में दस्तक दे दी। इस पर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में स्टैण्ड लिया कि उसने अदानी पावर से पैसा नही लिया है। यह ब्रेकल और अदानी के बीच व्यक्तिगत मामला है। सरकार का इससे कोई लेना देना नही है। रिलायंस की याचिका पर सरकार के स्टैण्ड को सामने रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस परियोजना के आबंटन को रद्द करके इसके लिये नये सिरे से प्रक्रिया शुरू करने को कहा था। यहीं पर सुप्रीम कोर्ट में सरकार यह भी कह चुकी है कि इस परियोजना में हुई देरी के कारण सरकार को अबतक 2713 करोड़ का नुकसान हो चुका है।

इस तरह यह परियोजना अबतक लटकी हुई है। सरकार सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के बावजूद इसका आवंटन नही कर पायी है। एसजेवीएनएल को यह परियोजना देने का फैसला भी अभी सिद्धान्तरूप में सहमति से आगे नही बढ़ा है। इसमें प्रदेश का लगातार नुकसान हो रहा है।

जहां इस परियोजना को लेकर एक ओर से प्रदेश का लगातार नुकसान हो रहा है वहीं सरकार अदानी के माध्यम से ब्रेकल से आये 280 करोड़ को अब तक जब्त नही कर पायी है। बल्कि उल्टे अदानी को यह रकम वापिस करने पर सहमत हो गयी है। 2015 में सरकार ने यह रकम लौटाने का फैसला ले लिया और अक्तूबर 2017 में अदानी को यह सूचित भी कर दिया कि सरकार इस फैसले को लागू करना चाहती है। अदानी ने यह सूचना मिलने पर सरकार का धन्यावाद भी कर दिया। लेकिन फिर दिसम्बर 2017 में यह फैसला लागू करने में असमर्थता भी जाहिर कर दी। अब 2019 में अदानी ने इस रकम को वापिस लेने के लिये प्रदेश उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर दी है। 19 मार्च को इसमें उच्च न्यायालय ने सरकार को जवाब दायर करके यह भी बताने के निर्देश दिये थे कि इस परियोजना के आवंटन पर क्या फैसला लिया गया है। ताकि जो रकम वापिस देने का फैसला लिया गया था उसके अनुसार यह रकम वापिस दी जा सके। अब 26 अप्रैल को इसमें सरकार ने जवाब देने के लिये और समय मांगा है ताकि इस पर मन्त्रिमण्डल फिर से विचार करके निर्णय ले सके। मंत्रीमण्डल चुनाव आचार संहिंता समाप्त होने के बाद इस पर फैसला लेगा।

वीरभद्र सरकार ने 280 करोड़ वापिस करने का फैसला लिया और अदानी को सूचित भी कर दिया। फिर अन्तिम दिनों में खुद ही यह फैसला बदल भी दिया। अब जयराम सरकार के सामने पैसा वापिस न करने का फैसला रिकार्ड पर मौजूद है लेकिन इसके बावजूद सरकार अभी तक उच्च न्यायालय में अपना जवाब नही दे पायी है। वह इस मामले को फिर मंत्रीमण्डल में ले जाना चाहती है। सरकार के इस रूख से स्पष्ट इंगित हो रहा है कि उसपर अदानी का पैसा वापिस करने का दबाव है। अदानी और प्रधानमन्त्री मोदी के अच्छे संबंध जगजाहिर हैं।

CWP No.406 of 2019

19.03.2019 Present: Mr. Vikram Nankani, Sr. Advocate with M/s Neeraj Gupta, Malav Deliwala and Janesh Gupta, Advocates, for the petitioner.

Mr. Ashok Sharma, Advocate General with M/s Ranjan Sharma, Adarsh Sharma, Ashwani Sharma, Ritta Goswami and Nand Lal Thakur, Additional Advocate Generals and Ms. Divya Sood, Dy. Advocate General, for the respondent/State.

Notice of motion. Mr. Ranjan Sharma, learned Additional Advocate General accepts notice on behalf of the respondent. Let reply-affidavit be filed by the next date of hearing with advance copy to learned counsel for the petitioner.

The respondent shall also apprise the Court as to what decision has been taken with regard to the allotment (by auction or through any other transparent mode) of the subject Hydro Power Project, so that the amount earlier promised to be refunded to the petitioner, can be refunded.

Post for hearing on *26th April, 2019.*

(Surya Kant)
Chief Justice

March 19, 2019
(yashwant/shankar)

(Sandeep Sharma)
Judge

High Court H.P.

दलित उत्पीड़न पर पुलिस की बेरूखी फिर आयी सामने

शिमला/शैल। दलित उत्पीड़न के मामलों मे पुलिस के व्यवहार को लेकर प्राय: बेरूखी और पक्षपात करने के आरोप लगते रहते हैं। पिछले दिनों नाहन का जिन्दान मामला इसका बड़ा तल्ख उदाहरण प्रदेश के सामने रहा है। अब राजधानी शिमला के उपनगर ढ़ली में एक दलित अमीचन्द के परिवार पर गुण्डों ने रॉड और डंडो से 23 अप्रैल रात दस बजे हमला कर दिया। इस हमले में अमीचन्द उसकी पत्नी और बेटी रितु तथा लड़के को गंभीर चोंटे आयी है। रितु का सिर फोड़ दिया गया हैं इस घटना की सूचना पीड़ित परिवार ने उसी रात को पुलिस को दे दी। पुलिस मौक पर आयी और हमला करने वाले रामदेव और मनीराम को गाड़ी में बैठाकर अपने साथ ले गयी। लेकिन पीड़ित परिवार की कोई सुध नही ली।

घायल लड़की रितु को उसके परिवार वाले ही अस्पताल लेकर गये। लेकिन अस्पताल में भी इनका ईलाज सही ढंग से नही किया गया। इनका आयुष्मान के तहत स्वास्थ्य कार्ड तक बना हुआ है लेकिन इस कार्ड का उपयोग तक नही करने दिया गया। इस घटना की एफआईआर लिखवाने 24 तारीख को रितु को बहन पुष्पा ढली थाना में गयी लेकिन उसकी एफआईआर नही लिखी गयी। जबकि पुलिस को 23 तारीख रात में ही सूचना मिलने और फिर घटनास्थल पर जाने के कारण स्वत ही प्राथमिकी दर्ज कर लेनी चाहिये थी। लेकिन परिवार को एफआईआर लिखवाने के लिये ऑनलाईन शिकायत का माध्यम लेना पड़ा। इस मामले में 18 घन्टे बाद एफआईआर दर्ज की गयी। डीएसपी सिटी को भी इसकी शिकायत की गयी। फिर धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने ब्यान दर्ज करके अनुसूचित जाजि उत्पीड़न अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। लेकिन इस पर अभी तक न तो कोई कारवाई हुई है और न ही इन्हें एफआईआर की कापी उपलब्ध करवायी गयी है।

पुलिस की बेरूखी के कारण परिवार को इस मामले में पूर्व महापौर संजय चौहान की सहायता लेनी पड़ी है। संजय चौहान ने इस मामले में ढली पुलिस के कर्मीयों और आईजीएमसी के डाक्टरों जिन्होंने ईलाज में कोताही बरती है उन सभी के खिलाफ कारवाई की मांग की है। स्मरणीय है कि दलित उत्पीड़न के मामलों पर सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिकता विभाग के तहत एक कमेटी गठित है। इस तरह के मामले इस कमेटी के संज्ञान में लाये जाते हैं इन मामलों को वापिस लेने के लिये इस कमेटी से अनुमति लेनी पड़ती है। पिछले दिनों इस संबंध में सचिवालय में एक बैठक हुई थी। इस बैठक में डीजीपी भी शामिल थे। लेकिन इस बैठक में डीजीपी का जो स्टैण्ड था उसको लेकर कमेटी में विवाद हो गया था अधिकारी डीजीपी के स्टैण्ड से सहमत नही थे।

सबसे अधिक बीमार है

.....पृष्ठ 1 का शेष

को बढ़ावा दे रही है। लेकिन प्राईवेट सैक्टर की हालत यह है कि यहां पर टैस्ट आदि के लिये जो मशीने लगायी जा रही हैं वह 15 से 20 वर्ष पुरानी तकनीकी की है। जबकि स्वास्थ्य के क्षेत्र में आये दिन नई रिसर्च सामने आ रही है। फिर प्राईवेट सैक्टर में टैस्टों की फीस सरकार से कई गुणा अधिक है और जब मरीज इन टैस्ट रिपोर्टो के आधार पर ईलाज के लिये आता है। तो उसे नये सिरे से टैस्ट करवाने पड़ते हैं और दोनों रिपोर्टो के परिणामों मे भारी भिन्नता सामने आती है। यह सब इस लिये हो रहा है क्योंकि प्राईवेट सैक्टर को रैगुलेट करने के लिये कोई प्रावधान नही रखा गया है।

न्यायिक सेवाओं से जुड़े लोगों को ट्रिब्यूनल में नियुक्त किया जाये

शिमला/शैल। प्रदेश के प्रशासनिक ट्रिब्यूनल में प्रशासनिक सदस्यों के दो पद लम्बे समय से खाली चले आ रहे हैं। इन पदों को भरने के लिये कई बार आवेदन आमन्त्रित किये गये हैं। अब इन पदों को भरने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इसके लिये चयन समिति की बैठक हो चुकी है। लेकिन इस बैठक में किन सदस्यों की नियुक्ति की अनुशंसा की गयी है इसका कोई अधिकारिक फैसला सामने नहीं आया है। लेकिन माना जा रहा है कि शीघ्र ही यह फैसला सामने आ जायेगा। लेकिन यह फैसला अधिकारिक तौर पर सामने आने और यह नियुक्तियां होने से पहले ही यह चर्चा चल पड़ी है कि इस ट्रिब्यूनल को बन्द किया जा रहा है। इस संद्धर्भ में कर्मचारी नेता विनोद कुमार ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है।

प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के अस्तित्व पर उठे सवालों पर हि.प्र. अराजपत्रित कर्मचारी महासघ ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि प्रदेश के अग्रिण कर्मचारी संगठन प्रशासनिक ट्रिब्यूनल में चहेते नौकरशाहों की नियुक्तियों का हमेशा विरोध करते रहे हैं परन्तु सरकार कर्मचारीयों की भावनाओं को दरकिनार कर ऐसे नौकरशाहों को ट्रिब्यूनल का बतौर सदस्य नामांकित करती रही है जिनकी सरकारी उच्च पदों पर नकारात्मक कार्यशैली के कारण अधीनस्थ कर्मचारियों को अपने इन्साफ के लिए वर्षो कोर्ट-कचहरियों में भटकना पड़ता है। महासंघ के संयोजक एवं परिसंघ के पूर्व अध्यक्ष विनोद कुमार ने कहा है कि सरकारें ऐसे चहेते नौकरशाहों को प्रशासनिक ट्रिब्यूनल का सदस्य नामांकित करती रही है, जिनकी सोच अपनी सेवाकाल के दौरान प्रजातांत्रिक न होकर सामंतवादी रही है और जो सेवा मामलों पर नियम/कानून सम्मत न्याय देने के मामले पर एक पृष्ठ का विवरण लिखने में भी सक्षम नहीं होते हैं। महासंघ ने कहा है कि प्रशासनिक ट्रिब्यूनल में किसी भी सदस्य की नियुक्ति उसके सर्विस रिकॉर्ड की समीक्षा किए बिना और कोई मैरिट निर्धारित न करना पूरी तरह से कर्मचारी वर्ग से अन्याय है, जो संवैधानिक संस्था की विश्वसनीयता को ही चोट करते हैं।

महासंघ नेता विनोद कुमार ने कहा है कि 1986 में स्थापित प्रशासनिक ट्रिब्यूनल को वर्ष 2008 में धूमल सरकार ने कर्मचारी संगठनों की मांग पर इसे बन्द करके कर्मचारियों के मसलों की पैरवी के लिए उच्च न्यायालय में व्यवस्था दी, चूंकि उस समय तक 24 वर्षो के इतिहास में सरकार द्वारा प्रताड़ित कर्मचारियों/कर्मचारी नेताओं के अनुभव जिस उद्देश्य से ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई थी, उसके विपरीत थे। इसलिए धूमल सरकार का यह फैसला पूरी तरह से कर्मचारियों के हक में गया था। परन्तु सत्ता परिवर्तन के बाद 2013 में राजनीतिक दृष्टिकोण से वीरभद्र सरकार ने अगस्त 2013 की कैबिनट की बैठक में ट्रिब्यूनल को दुबारा से चालू करने का फैसला लिया, सम्भवत: उसके पीछे बेरहम राजनीतिक तबादलों पर उच्च न्यायालय की सरकार को फटकार थी। लेकिन सरकार के इस फैसलें के विरूद्ध उस समय कर्मचारी परिसंघ ने सितम्बर 2013 के सरकार के इस फैसले का विरोध करते हुए प्रदेश सरकार उच्च न्यायालय और भारत सरकार को लिखित तौर पर ज्ञापन के माध्यम से कर्मचारियों की भावनाओं से अवगत करवाया गया। जिसके चलते फरवरी 2015 तक मामला लटका रहा, परन्तु राजनीतिक कारणों से वीरभद्र सरकार ने आखिर इसे दोबारा खोलते हुए पूर्व की तर्ज पर अपने चहेते नौकरशाहों को वहां बतौर सदस्य लगाया। विनोद कुमार ने कहा है कि वर्तमान में भी सरकार से यह कई बार मांग की जा चुकी है कि प्रशासनिक ट्रिब्यूनल में किसी भी चहेते नौकरशाहों को एड़जस्ट करने की परीपाटी को विराम लगाते हुए ट्रिब्यूनल में न्यायिक सेवाओं से जूड़े जजों/सदस्यों की ही नियुक्तियां की जायें जिसमें सीधे सरकार का हस्तक्षेप न हो ताकि नकारात्मक कार्यशैली वाली नौकरशाही और भ्रष्ट राजनेताओं की प्रताड़ना के शिकार कर्मचारी/अधिकारी वर्ग को समय रहते उचित न्याय मिल सके, चूंकि प्रशासनिक ट्रिब्यूनल एक्ट 1985 में भी देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के ऐसे कई फैसलों के सन्दर्भ अंकित है जिसमें ट्रिब्यूनल की ऐसी कार्यप्रणाली पर प्रश्नचिन्ह खड़े किए हैं।